खण्ड-326, अंक-5
गुरूवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(1 सितम्बर, 1977 ई0)

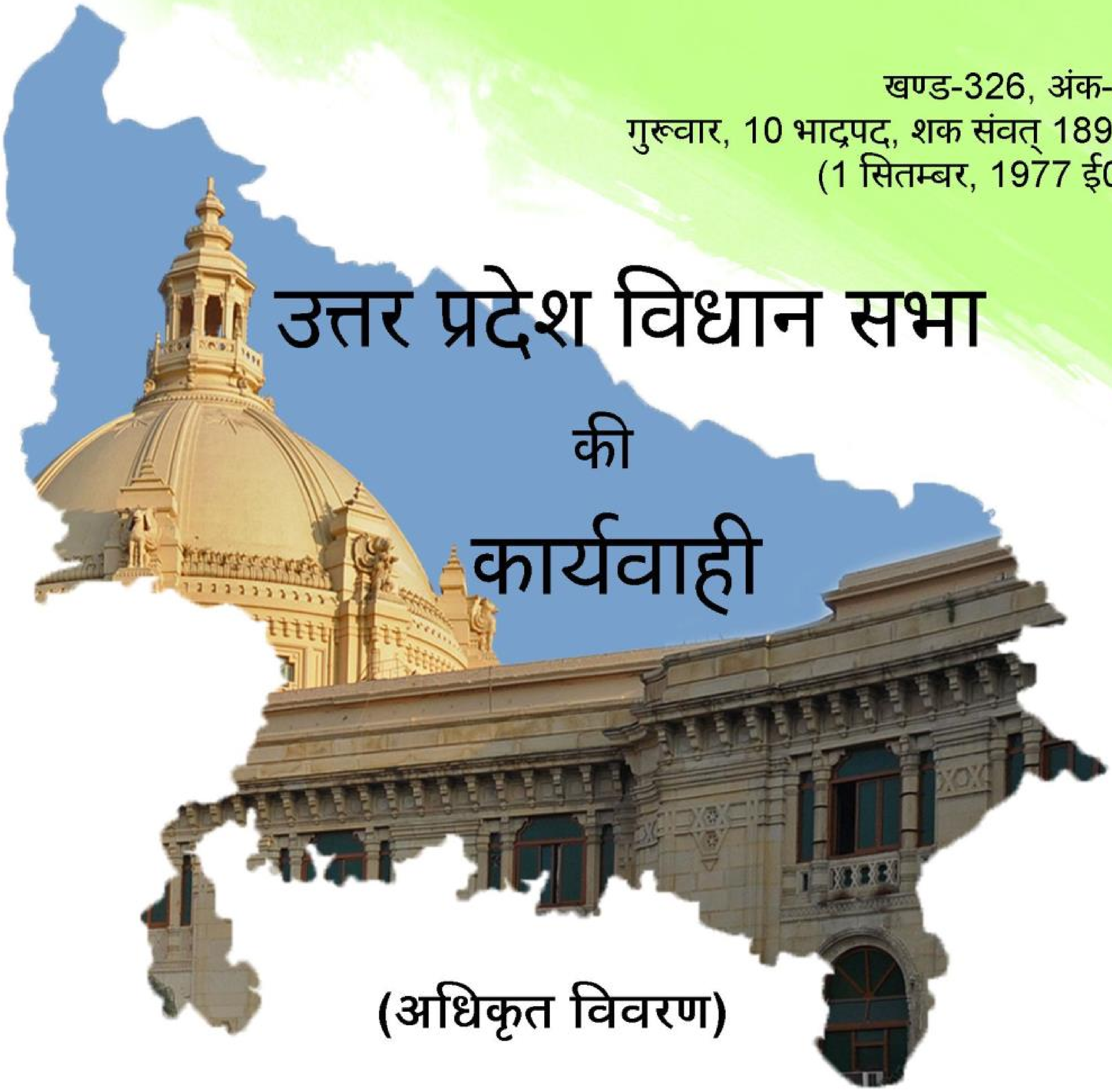

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	377–382
प्रश्नोत्तर	382–404
आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	404–405
झिनकू लाल इन्टर कालेज, कलवारी, जिला बस्ती के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	405–406
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए आयु निर्धारण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	406
ग्राम बदरपुर, जिला बदायूं में मस्जिद बनाने पर साम्प्रदायिक दंगा होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	406–407
नोटीफाइड एरिया, खलीलाबाद, जिला बस्ती में गबन तथा अनियमितताओं के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	407–408
प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति तथा अनुपूरक प्रश्नों पर व्यवस्था के प्रश्न	408–410
31 मार्च, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 25 के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर शोधन वक्तव्य	411
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया) ..	412
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	412
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	412–413
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	413
1977-78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	413–464
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	465
नत्थियां	466–467

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 385

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ , श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पांडेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किसन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद महरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप त्रिवेजी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य

धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पावन, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाटक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री

मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल,श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री

रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंशगोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

पंजाब शुगर मिल, धुधली, गोरखपुर पर श्रमिकों का बकाया

*2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगें कि पंजाब शुगर मिल, धुधली, जिला गोरखपुर ने विगत एक वर्ष से मजदूरों का वेतन तथा दूसरा बकाया नहीं दिया है? यदि हां, तो मजदूरों का विभिन्न मदों में देयधन 31 जुलाई, 1977 तक क्या है, एवं उसको मजदूरों को भुगतान कराने के लिए शासन क्या कर रहा है?

श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां। विभिन्न मदों में श्रमिकों का लगभग रु0 21,23,065.00 दिनांक 31 जुलाई, 1977 तक बकाया है।

इस मिल में रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है और 25 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति भी दे दी गई है, जिससे बकाए वेतन का भुगतान एवं मिल के मरम्मत का कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त बकाए वेतन का भुगतान कराए जाने हेतु वेतन संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि करीब साढ़े इक्कीस लाख रुपया बकाया बताया गया, यह किस-किस मद का कितना-कितना रुपया है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, सितम्बर, 1976 का 61,455 रुपया वेतन का, अक्तूबर का 1,19,526, नवम्बर का 1,18,957, फरवरी का 3,45,127, मार्च का 1 लाख, अप्रैल, का 1 लाख, मई का 80,000, जून का 80,000। इस तरह से वेतन की मद में 10,05,065 रुपया है। इसके अतिरिक्त 11 लाख, 18,000 रुपया और बकाया है, 2 साल का। उसमें बोनस है, रिटेनिंग अलावेंस है 1975-76 का, ओवरटाइम है, ग्रैचुटी है, प्रावीडेन्ट फन्ड है। उसकी तफसील दे सकता हूं अगर माननीय सदस्य चाहें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि मजदूरों का जो रुपया प्रावीडेन्ट फन्ड का है, उसको उस मैनेजिंग कमेटी ने, जो फैक्टरी के डायरेक्टर्स चलाते हैं, उन्होंने उसको खा लिया है और उसका कोई एकाउन्ट फैक्टरी में नहीं है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इसके लिए मुझे सूचना चाहिए। इस प्रश्न से सम्बन्धित भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रावीडेंन्ट फन्ड का पैसा क्या कमिश्नर के पास जमा नहीं है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जो उनका हिस्सा होगा वह उन्होंने नहीं दिया होगा। यह भी सम्भव है, जैसा कि माननीय सदस्य कहते है कि श्रमिकों से भी ले लिया हो और न दिया हो।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आपने मजदूरों को और मिल की मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति दी है। क्या यह भी स्पष्ट किया है कि मजदूरों को जो विभिन्न मदों में दिया गया है, वह कितना दिया जाय और मिल की मरम्मत के लिए कितना रुपया दिया जाय ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मार्च, 1976 से अगस्त, 1976 के 6 महीने का 7 लाख का वेतन हम दे चुके हैं और इस 25 लाख में से 9 लाख श्रमिकों को देय राशि उसकी दे चुके हैं। एक्जेक्टली कितना रुपया रिपेयर्स में लगेगा और बकाया कितना दे देंगे, इसकी सूचना इस वक्त नहीं मिल सकती है, रिपेयर्स और अन्डर वे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को देखते हुए कि उस फैक्टरी पर मजदूरों का काफी रुपया बकाया है, किसानों का पया बकाया है और उस मिल की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर सुचारूरूप से चलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गणेश दत्तबाजपेयी—

मान्यवर, पहली मई से, जैसा मैंने निवेदन किया, रिसीवर अप्वाइंट कर दिया है, और परिस्थिति सुधारने के लिए किया है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि रिसीवर आपने मुकर्रर किया है। क्या सरकार इस फैक्टरी को स्वयं लेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

अपने नियन्त्रण में किस अधिनियम के अन्तर्गत ? यह प्रश्न जरा और स्पष्ट होना चाहिए ?

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह चीनी मिल कुल्दीप नारंग की है और संजय गांधी के प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही उसके खिलाफ अब तक नहीं की गयी थी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

कितना प्रभाव था, उन पर संजय गांधी जी का इसका मुझे अन्दाजा नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इस मिल के पास कितने प्रकार के रिजर्व हैं और कितना है और कब से यह घाटे में चल रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, जो तफसील पूछी जा रही है, उसके लिए सूचना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस सदन को कोई ऐसा आश्वासन देंगे कि कब तक मजदूरों का 21 लाख रुपया जो बकाया है उसकी अदायगी कर दी जायगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मैं पूरी आशा करता हूं कि चालू सीजन का अन्त होते-होते हम अदायगी कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इस मिल के इतने असेट्स भी हैं जितनी लायबिलिटी है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

यह भी प्रत्यक्षत : ऐसा प्रश्न है कि मुझे इसकी सूचना चाहिए ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मजदूरों के वेतन के अलावा क्या किसानों के गन्ने की रकम भी इस मिल के ऊपर बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—

मूल प्रश्न था श्रमिकों के वेतन का इसलिए यह इनको कैसे मालूम हो सकता है ?

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर) आपको 2 अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति मिली। अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों पर कोई व्यवस्था नहीं होती।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न है नहीं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप बैठिए। (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े रहने पर) यह अनुचित है। आप प्रश्न कर चुके। अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा —

नियम 49 में इस की इजाजत दे दीजए।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[3रें गुरुवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले के सी० एम० ओ० तथा डिप्टी सी० एम० ओ० के कार्यालय के कर्मचारियों का निरस्त किया गया स्थानान्तरण आदेश

*4—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के सी0 एम0 ओ0 तथा डिप्टी सी0 एम0 ओ0 (चिकित्सा) कार्यालय में जो कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं उनमें से प्रत्येक का, बस्ती जनपद में सेवा अवधि काल में, कब-कब स्थानान्तण अन्य जनपदों में किया गया था और वह आदेश कार्यन्वित हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 466 पर।)

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

यह जो दो आदमियों के नाम हैं, श्री राय और श्री राम कृपाल, ये बस्ती जिले में कब से हैं।

श्री कल्याण सिंह—

श्री आर0 पी0 राय बस्ती जिले में दिनांक 22 अगस्त, 1965 से हैं और श्री राम कृपाल लाल श्रीवास्तव दिनांक 27 अगस्त, 1969 से हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

श्री राय का जो चार मर्तबा ट्रान्सफर हुआ और रोक दिया गया, तो क्यों रोक दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह—

श्री राय का पहला स्थानान्तरण दिनांक 22 अगस्त, 1971 को बस्ती से प्रतापगढ़ हुआ। वह श्री लल्लूराम जी विधायक, बस्ती की संस्तुति पर रोक दिया गया था। दूसरा स्थानान्तरण दिनांक 20 जुलाई, 1974 को देवरिया के लिए हुआ जो प्रधान लिपिक के पद पर इनकी पदोन्नति हुई थी। तीसरा दिनांक 20 अगस्त, 1974 को हुआ झांसी के लिए, उस पर श्री राम पति, श्री रामायण राय की संस्तुति पर वहां पर रोक दिया गया था। चौथा ट्रान्सफर इनका दिनांक 17 जुलाई, ...

श्री अध्यक्ष—

इसमें किसी विधायक का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, रुका तो सिफारिश पर ही है, इसलिए नाम बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

विधायक का नाम लेना अनुचित है। आप यह बताइए कि सरकार ने जो किया, इसलिए किया उन्हें ?

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बस्ती जिले में कितने दिनों से हैं और ये किस जिले के निवासी हैं और क्या यह सही है कि इनका ट्रान्सफर देवरिया को हुआ और ये नहीं गए ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दे चुके हैं, कि 1965 से हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, क्या यह सही है कि वह देवरिया के निवासी हैं और उनका स्थानान्तरण देवरिया जिले को हुआ और वह वहां नहीं गए।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इनका निवास स्थान जिला बस्ती है। बस्ती को ट्रान्सफर हुआ, जिनका मैंने विवरण दिया।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, किन कारणों से राय का स्थानातरण किया गया और वह कौन सा कारण था जो 4 बार रोका गया ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, स्थानान्तरण तो किया गया था, चूंकि एक ही स्थान पर लम्बी अवधि से थे, इस कारण से उनका ट्रान्सफर हुआ था। तीसरा ट्रान्सफर जब प्रधान लिपिक के पद पर हो गया था, उस समय उन्हें दूसरे जिले में जाने के बजाय उसी जिले में अकोमोडेट कर दिया गया था।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, अभी स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

बिलकुल स्पष्ट हो गया।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, 4 बार किन कारणों से स्थानान्तरण रोका गया ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, नियम में यह है कि जो गजटेड अधिकारी हैं, कोई जब तक खास परिस्थिति न आ जाय, तो तीन वर्ष के बाद स्थानान्तरण नहीं रोका जायगा ? क्या मान्यवर, इस नियम का पालन अब होगा ?

श्री कल्याण सिंह--

इस वर्ष अभी ट्रान्सफर नहीं किया गया। इस पर शासन विचार करेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन आधारों पर, किन परिस्थितियों में उनका ट्रासफर 4 बार रोका गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो लिखा ही है कि 4 बार ट्रान्सफर हुआ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, किन परिस्थितियों में रोका गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह बता चुके हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, अभी स्पष्ट उत्तर नहीं आया।

एक सदस्य--

मान्यवर, इसका उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं आया है।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, ट्रान्सफर तो रोका गया ....

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से ट्रान्सफर रोका गया ?

श्री कल्याण सिंह--

मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर सहयोग करें और सिफारिश के कारणों को समाप्त करें, तो यह कारण समाप्त हो सकता है।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, इनका तबादला शिकायतों के आधार पर हुआ था, इनके खिलाफ जांच भी हुई है, उसकी रिपोर्ट आई है ? इनका तबादला हुआ और इन्होंने निश्चित तरीके से असर डालकर तबादला रुकवाया। तो मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि इनका तबादला तुरन्त करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

इस सम्बन्ध में शासन निश्चित रूप से विचार करेगा और कार्यवाही करेगा।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तमाम स्थानान्तरण जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इनके बारे में समय की अवधि का ध्यान रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, यह प्रश्न दिनांक 3 अगस्त, 1977 को गया था माननीय मन्त्री जी के पास उत्तर भी आ गया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आखिर कौन से कारण हैं, जिन कारणों से इन लोगों का स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैंने कारण पहले ही बता दिया है कि कारण एक है, केवल सिफारिश पर रोके गए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इनको तत्काल हटाने में क्या कठिनाई है ? (उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन विधायकों का जिक्र किया गया और जिनकी सिफारिश पर इनको रोका गया, वे सब पुराने कांग्रेसी विधायक हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जांच संयुक्त निदेशक, गोरखपुर ने किया है और उनकी जांच रिपोर्ट क्या है, उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायगा, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

कार्डियोलाजी संस्थान मेडिकल कालेज, कानपुर की सर्जिकल यूनिट के कार्डियाक सर्जनों का त्याग-पत्र

*5—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा) तथा डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कार्डियोलोजी संस्थान मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जिकल यूनिट को किन परिस्थितियों में बन्द करना पड़ा और कितने डाक्टर इस यूनिट को छोड़कर चले गए और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

कार्डियोलोजी संस्थान मेडिकल कालेज, कानपुर की सर्जिकल यूनिट वस्तुत: बन्द नहीं की गई है, अपितु इस संस्थान के दो कार्डियाक सर्जनों द्वारा त्याग-पत्र देकर चले जाने के कारण इस यूनिट का कार्य फिलहाल रुक गया है । इन दोनों कार्डियाक सर्जनों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से त्याग-पत्र दिया है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे ....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जब तक मैं न कहूं, तब तक न बोलें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

अध्यक्ष महोदय, जिन दो कार्डियाक सर्जनों ने त्याग-पत्र दिया था, उनमें से एक सर्जन आस्ट्रेलिया से त्याग-पत्र देकर आए थे और दूसरे सर्जन तेहरान से आए थे, जिनको वहां पर 20 हजार रुपए महीने मिलता था। इन दो डाक्टरों ने जिन्होंने त्याग-पत्र दिया, उसमें मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां डाइरेक्टर जो हैं, उनके भ्रष्टपूर्ण तानाशाही रवैये के कारण इन्होंने त्याग-पत्र दिया ? क्या सरकार इसकी जांच कराएगी ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इन दोनों डाक्टरों ने त्याग-पत्र में लिखा है—एक ने व्यक्तिगत कारणों से और एक ने लिखा है कि माता जी के बीमार होने के कारण त्याग-पत्र दे रहे हैं। त्याग-पत्र ऐसे नहीं हैं, जो कारण माननीय सदस्य बता रहे हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

अध्यक्ष जी, मेरी निश्चित जानकारी है कि अगर स्वास्थ्य मन्त्री पता लगायें, तो इस संस्थान के जो निदेशक हैं, उनकी वजह से आज तक डाक्टरों के स्थान की पूर्ति नहीं हुई है । लाखों रुपयों की मशीनें जो आयात की गईं और इस यूनिट को चालू किया गया, तो वह बन्द पड़ी हैं। रिक्त स्थानों की क्यों पूर्ति नहीं हुई है। किस वजह से उनको त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, दो त्याग-पत्र आए हैं। उनमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किसी दबाव से या किसी खास वजह से त्याग-पत्र दिया गया है। त्याग-पत्र की भाषा बहुत स्पष्ट है कि व्यक्तिगत कारणों से दिया है।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। वह व्यक्तिगत कारण क्या थे ? कृपया स्पष्ट करें और इस निगाह से भी देखें कि जिन डाक्टरों को 25 हजार रुपए मिलते थे, तेहरान और आस्ट्रेलिया से वह आए और 15 सौ रुपये पर आकर यहां लगे। वह क्या व्यक्तिगत कारण थे, जिनकी वजह से यह छोड़कर गए ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, अनुमति हो तो उनके त्याग-पत्र की भाषा में पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में बतायें।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इसमें लिखा है कि हम व्यक्तिगत कारणों ते त्याग-पत्र दे रहे हैं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे और उनको क्या यह जानकारी है कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसकी विजीलेन्स जांच कर रही है और क्या मन्त्री जी उन तमाम तथ्यों की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायेंगे और जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन, जब मैं फाइल से जानकारी कर रहा था तो उनमें भ्रष्टाचार और अनियमिततायें, साज-सामान खरीदने के मामले को लेकर आरोप हैं, जिसकी जांच की जा रही है और वह पूरा होते ही तथा आरोप सिद्ध होने पर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और सदन को उससे सूचित कर दिया जाएगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करके कहूंगा कि जब यह जांच चल रही है तो जब तक जांच चले तब तक इन्डेपेन्डेन्ट डाइरेक्टर को रखकर क्या जांच करायेंगे, जिससे जांच सही हो सके ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जांच चल रही है, उसकी कार्यवाही पूर्ण होते ही जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर कार्यवाही आवश्यकतानुसार की जाएगी।

श्री हिम्मत सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों ने त्याग-पत्र कब दिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, एक प्रोफेसर जे0 आर0 तलवार ने त्याग-पत्र दिनांक 1 जून, 1976 को दिया और वह दिनांक 1 जुलाई, 1977 को कार्यभार से मुक्त कर दिए गए। दूसरे डा0 आर0 बी0 गुप्ता, रीडर का त्याग-पत्र दिनांक 25 जून, 1976 को आया और दिनांक 11 जुलाई, 1977 को स्वीकार कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या किया?

श्री कल्याण सिंह—

इसमें मान्यवर, एक तो लेक्चरार की कमी है और दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेन्डेशन भी भेज दिया है, उसे एक सप्ताह में पूरा कर दिया जाएगा। एक पद जो प्रोफेसर का खाली हुआ है, उसके लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन को अभियाचन किया जायेगा, 10 दिन के अन्दर। चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्ति होनी होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है कि काफी समय हो रहा है और स्थान अभी रिक्त हैं जबकि यह संस्थान महत्वपूर्ण है? तो क्या उनको भरने की तत्काल कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, उनके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और जो भी स्थान रिक्त होते हैं, उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जाता है ताकि विशेषज्ञ जल्दी मिल सकें।

श्री अध्यक्ष—

आप एडहाक एप्वाइन्टमेन्ट करते हैं। तो जब यह स्थान रिक्त है तो एडहाक एप्वाइन्टमेन्ट क्यों नहीं करते हैं? माननीय सदस्य का यह प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मैं एडहाक के पक्ष में नहीं हूं।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, जो आर0 बी0 गुप्ता का स्थान रिक्त है, उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिनांक 30 जून, 1977 को चुनाव पूरा कर लिया है। उसका परिणाम प्रतीक्षित है और जैसे ही परिणाम मिल जाएगा वह नियुक्त हो जाएगा। दूसरा स्थान प्रोफेसर का खाली है, उसके लिए अभियाचन किया जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन को ताकि वह जल्दी अभ्यर्थी दिला सके।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मैं मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाखों रुपए लगाकर संस्थान बनाया गया और डाक्टर अब चले गए हैं जिससे काम बन्द है, तो क्या वहां आपरेशन की अभी तक कोई व्यवस्था हुई है कि नहीं? यदि नहीं, तो तत्काल दूसरे अस्पतालों से डाक्टर बुलाकर काम चलाया जा रहा है कि नहीं?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, यह ऐसा संस्थान है जहां दूसरे डाक्टर नहीं लिए जा सकते हैं। इसके लिए जो विशेषज्ञ होंगे, उन्हीं को रखना पड़ेगा और उसके लिए कार्यवाही हम कर रहे हैं। आयोग से अभी फार्मल सैंक्शन आनी है। जैसे ही वह आ जायगी वह रिक्ति भर दी जाएगी। दूसरी रिक्ति के लिए मैंने कहा कि दस दिन के अन्दर अभियाचना भेजी जा रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष जी, इसमें कुछ गोलमाल लगता है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि जो उनके इस्तीफे के पत्र हैं, उनको सदन में पढ़ कर सुना दें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं। पूरा पत्र पढ़ने की मैंने अनुमति नहीं दी। उन्होंने सार बतला दिया था। इसलिए यह सवाल नहीं उठता।

कार्डियोलाजी संस्थान, कानपुर के सर्जिकल यूनिट की स्थापना पर व्यय की गई धनराशि

*6—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल तथा डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्जिकल यूनिट, कार्डियोलोजी संस्थान, कानपुर को प्रारम्भ करने में कितना व्यय सरकार को करना पड़ा और कुल कितने आपरेशन उपरोक्त यूनिट में अब तक किए गए ?

श्री कल्याण सिंह—

कार्डियोलोजी संस्थान, कानपुर में सर्जिकल यूनिट को प्रारम्भ करने हेतु उपकरणों तथा यन्त्र के क्रय पर 10,58,450.00 रुपए का व्यय किया गया।

उपरोक्त सर्जिकल यूनिट में अब तक 75 क्लोज्ड हार्ट सर्जरी के आपरेशन तथा 7 ओपेन हार्ट सर्जरी के आपरेशन हुए जिसमें दो मरीजों को कृत्रिम वाल्व भी लगाए गए।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय इस संस्थान का उद्घाटन हुआ था, उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने कहा था कि प्रति सप्ताह 3 ओपेन हार्ट और 3 क्लोज हार्ट आपरेशन्स किए जायेंगे ? साढ़े दस लाख रुपया खर्च कर देने के बावजूद भी कुल सात ओपिन हार्ट आपरेशन्स हुए, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह—

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने क्या कहा था उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। चूंकि यह संस्थान प्रारम्भ ही हुआ था और जो ओपिन हार्ट सर्जरी के केसेज रेफर होकर आए, तो उनका विश्लेषण करना होता है और उसमें समय लगता है। प्रारम्भ का कार्य था इसलिए ज्यादा केसेज नहीं आए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इतने कम आपरेशन्स क्यों हुए ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इसकी जानकारी करनी होगी।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गोलमाल को देखते हुए 1967 से 1977 के बीच में जो भी अनियमितताएं बर्ती गयीं, तो उनकी फिजीकल वेरीफिकेशन करा कर

या स्पेशल जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन में रखेंगे ? गोलमाल हुआ है, यह साफ है क्योंकि दस लाख से ऊपर यहां खर्च हुए और सात केसेज ही इस बीच हुए ? तो क्या इसकी जांच कराकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, अवश्य रख देंगे।

श्री ऊदल—

इसमें यह भी जोड़ लें कि मरीज आए या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मरीज आए हों और भगा दिया गया हो ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्जिकल यूनिट में आपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और चूंकि ब्रेनड्रेन भी बहुत अधिक है क्या मन्त्री जी पब्लिक सर्विस कमीशन पर ही डिपेन्ड न रह कर और जगह से विशेषज्ञों को अविलम्ब 15-20 दिन में वहां रख कर ओपेन हार्ट आपरेशन की संख्या बढ़ायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जितने प्रश्न हुए हैं सब का मैं स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं। क्यों नहीं हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कमी क्यों हुई ? यह देख लिया जायगा। उत्तर मैं सबका दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि विशेषज्ञ लोग मिलते नहीं हैं और ब्रेन ड्रेन भी हुआ है। इस पर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी विचार करेंगे कि इस प्रकार स्पेशियेलाइज्ड संस्था में, एक्सपर्ट लोग उपलब्ध हो सकें ? यह प्रश्न था। आप इस पर गौर करेंगे।

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ के कर्मचारियों के विरुद्ध गलत यात्रा भत्ता लिए जाने की शिकायतों की जांच

*7—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने के विषय पर किसी विधायक ने गत अगस्त, 1976 को कोई शिकायती-पत्र भेजा था जिस पर तत्कालीन मन्त्री ने जांच के आदेश भी दिए थे ? यदि हां, तो उस पर जांच किसके द्वारा कराई गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

श्री बांके लाल, विधायक देवरिया से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के मुख्य लिपिक श्री आर0 सी0 शर्मा के विरुद्ध गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने की

[श्री कल्याण सिंह]

शिकायत गत अगस्त, 1976 में प्राप्त हुई थी जिस पर तत्कालीन राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जी के आदेशों के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा जांच कराई जा रही है। इस सम्बन्ध में रेलवे स्टेशन मास्टरों से मांगी गयी सूचना अपेक्षित है सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री शर्मा के विरुद्ध पूरे आरोप क्या हैं और उन पर जांच के आदेश किस तारीख को स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जी न दिए थे ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, आरोप तो यह है कि उन्होंने यात्रा भत्ता प्रथम श्रेणी का प्राप्त किया है। इसके लिए दिनांक 31, अगस्त 1976 को श्री बांके लाल जी, एम0 एल0 ए0 ने राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जी को शिकायत की थी। दिनांक 4 अक्तूबर, 1976 को शासन के अर्द्ध-शासकीय पत्र द्वारा यह निदेशालय को भेजा गया। दिनांक 10 नवम्बर, 1976 को श्री बांके लाल जी, विधायक ने शिकायत से इन्कार कर दिया और जांच न करने की संस्तुति की थी, परन्तु दिनांक 23 नवम्बर, 1976 को श्री शिव प्रसाद मिश्रा ने राज्य स्वास्थ्य मन्त्री को प्रार्थना-पत्र दिया, जिसमें यह कहा गया कि विधायक पर दबाव डाल कर शिकायत से इन्कार कराया जा रहा है और इस पर जांच अवश्य होनी चाहिए। दिनांक 25 नवम्बर, 1976 को राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जांच के आदेश दिए थे। दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 को संयुक्त निदेशक (प्रशासन) ने जांच की स्वीकृति कार्यालय की टिप्पणी पर दी। दिनांक 6 जुलाई, 1977 को स्टेशन मास्टर, फतेहगढ़, बस्ती, लखनऊ (पूर्वोत्तर रेलवे) एवं आगरा फोर्ट, हरिद्वार, लखनऊ (उत्तरी रेलवे) से पूछा गया कि फर्स्ट क्लास टिकट एवं रिजर्वेशन श्री आर0 सी0 शर्मा ने कराया था या नहीं और फर्स्ट क्लास का टिकट उनको इश्यू हुआ था या नहीं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि रेलवे अधिकारियों ने आज तक कोई जवाब दिया या नहीं और अगर नहीं दिया, तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे मन्त्रालय को इसकी कोई शिकायत की है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह दिनांक 6 जुलाई, 1977 को विभिन्न स्टेशन मास्टरों को लिख कर गया था कि इस सम्बन्ध में सूचना दें। दिनांक 28 अगस्त, 1977 को अनुस्मारक भी भेजा गया है लेकिन अभी तक वहां से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, पूरा उत्तर नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेलवे मन्त्रालय को आज तक इसके बारे में कोई शिकायत क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कह दिया है कि एक महीना हुआ है। अब पुन: उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा--

यह शिकायत दिनांक 31 अगस्त, 1976 को की गयी और आज उसे एक वर्ष पूरा हो चुका है। मैं मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि कितने दिन में यह इनक्वायरी कमप्लीट हो जाएगी ?

श्री कल्याण सिंह—

इस विभाग की ओर से विलम्ब नहीं होगा। जैसे ही, स्टेशन मास्टर से सूचना मिल जायगी, मैं तुरन्त कार्यवाही कर दूंगा।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

रेलव विभाग से अगर सूचना मिलना बहुत कठिन हो रहा है, तो क्या अपने विभाग के अधिकारी को भेजकर रेलवे आफिस से सूचना मंगा लेंगे और उस पर ऐक्शन लेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

दूसरा रिमाइन्डर दिनांक 28 अगस्त, 1977 को गया है। अगर डिले होगी रीजनेबिल टाइम के बाद तो हम इन्क्वायरी करा लेंगे कि जो जानकारी मांगी गयी है, वह हम को दे दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपने कहा कि विलम्ब नहीं किया गया लेकिन अगस्त, 1976 में शिकायत प्राप्त हुई और जुलाई, 1977 में आपके विभाग से रेलवे को लिखा गया, तो इतने विलम्ब के लिए क्या आपने विभाग के अधिकारियों के कान खींचे ?

श्री कल्याण सिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि विलम्ब नहीं हुआ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

जिस जांच अधिकारी को जांच सुपुर्द की गयी क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट उसने आपके सुपुर्द की और उस पर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह—

यह ऐसी शिकायत है तक जब हम उस सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर से पता न कर लें कि टिकट इश्यू हुआ या नहीं और रिजवेशन हुआ या नहीं, तब तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी नहीं मिल सकती।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

रेलवे विभाग को किस तारीख को पत्र लिखा गया, उसकी सूचना कब तक मिलने की सम्भावना है और कब तक आप उस पर कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

जिन अधिकारियों ने एक वर्ष की पूरी अवधि बिता दी वे अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं ?

श्री कल्याण सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जिस अधिकारी ने लगातार एक वर्ष तक इस अहम मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, उसके विरुद्ध आप कौन-सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

यह देखना होगा कि यह विलम्ब किन कारणों से किन परिस्थितियों में हुआ है।

कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के उपभोक्ताओं पर बकाया विद्युत् शुल्क

*8—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज, शहर कन्नौज के किन-किन लोगों पर पांच हजार रुपए से ऊपर की धनराशि बिजली की बकाया पड़ी है ? उसको वसूल न करने का क्या कारण है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज, शहर कन्नौज के निम्नलिखित सात उपभोक्ताओं पर पांच हजार से ऊपर की धनराशि बकाया पड़ी है —

क्रम-सं०	उपभोक्ता का नाम	बकाया धनराशि (रुपयों में)
1	श्री बैकुण्ठनाथ, मकरन्दनगर, 15 अश्व शक्ति भार	10,997.31
2	श्री लडेतेलाल, मनोहरलाल, भगवानपुर मकरन्दनगर, 10 अश्व शक्ति भार।	9,032.32
3	श्री राम महाय वर्मा, भगवानपुर, मकरन्दनगर, 10 अश्व शक्ति भार	5,131.97
4	श्री रामनाथ, विद्यासागर, नसरापुर मकरन्दनगर, 10 अश्व शक्ति भार।	5,249.18
5	श्री रामलाल गुप्ता, सरायमीरा, 10 अश्व शक्ति भार	6,360.84
6	मै० बर्मा शैल कम्पनी, सरायमीरा, 2 अश्व शक्ति भार	6,266.72
7	मै० बेनीराम मूलचन्द्र, हरदेवगंज, प्रकाश एवं पंखा	14,403.78

उपरोक्त सभी उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए जिलाधिकारी, फतेहगढ़ को धारा पांच के अन्तर्गत, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु विधिवत् प्रपत्र भेज दिए गए हैं।

श्री झाम लाल अहेरवार—

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जिन लोगों पर यह बकाया धनराशि है, वह किस-किस साल की है और अब तक वसूल न करने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, बकाया तो पुराना है। माननीय सदस्य ने तारीख पूछी नहीं थी कि यह किस तारीख का है, इसलिए उत्तर नहीं दिया। जहां तक वसूली का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को इस सदन के माध्यम से सूचित करूं कि वसूली में 4 लोगों के डिसकनेक्शन कर दिए गए हैं। यह बकाया जो है, इसका भू-राजस्व के सेक्शन 5 के अनुसार नोटिस भेज दिए गए हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री जी तैयार होकर नहीं आए हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह किस-किस साल की बकाया है इसको जानने का अधिकार सदन को है। (व्यवधान)।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, नेगी जी बिना अनुमति के बोलते हैं।

श्री झामलाल अहेरवार—

मान्यवर, जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा है कि किस-किस साल की बकाया धनराशि है और अभी तक वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, प्रश्न में यह पूछा ही नहीं गया है कि किस-किस साल का बकाया है, यह पूछते तो बताते, किन तिथियों में हमने रिकवरी सर्टिफिकेट भेजे हैं वह मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उत्तर दे चुके हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मन्त्री जी बकाया की तारीख नहीं बता रहे हैं लेकिन इतना तो बता दें कि रिकवरी सर्टिफिकेट किन-किन तारीख को डी० एम० को भेजे और कितना समय हो गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, बकाया की वसूली के लिए दो फेज होते हैं। एक फेज तो हमारे ऐक्शन का डिसकनेक्शन होता है और एक फेज रिकवरी का होता है। मान लीजिए डिसकनेक्शन हो गया तब भी हमारा ऐक्शन बकाया है रिकवरी सर्टिफिकेट वसूली के लिए भेजने पड़ते हैं। मैंने पहले निवेदन किया 7 नामों में से 4 के डिसकनेक्शन हो गए एक इरिगेशन का है, इसलिए उसका डिसकनेक्शन नहीं हुआ। दो केसेज ऐसे हैं, जिसमें उन्होंने एकाउन्ट के बारे में विवाद उठाया है। जो हमने नोटिस इश्यू किए हैं उनकी तिथियां इस प्रकार हैं :—

			धनराशि रु०
श्री बैकुण्ठ नाथ	..	(1) एकाउन्ट का फरवरी, 1976	6,042.00
		(2) सितम्बर, 1976 ..	1,342.00
श्री लड़ेते लाल	..	(1) फरवरी, 1976 ..	3,676.11
		(2) दिसम्बर, 1976 ..	3,473.00
		(3) अप्रैल, 1977 ..	1,062.00

			रु0
श्री राम सहाय वर्मा	..	(1) फरवरी, 1976 ..	1,650.00
		(2) दिसम्बर, 1976 ..	1,133.36
श्री रामनाथ	..	(1) फरवरी, 1976 ..	2,913.83
		(2) दिसम्बर, 1976 ..	2,335.21
श्री रामलाल गुप्त	..	मार्च, 1976 ..	5,858.40

एक वसूली बर्मा शैल एन्ड कम्पनी को फरवरी में भेजी गई। इसी तरह बेनी-राम मूलचन्द्र के बारे में 10,333 रुपए का मार्च, 1976 में और 1978.90 रुपए का फरवरी, 1977 म भेजा गया।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

रिकवरी सर्टीफिकेट कब-कब भेजा गया, यह मन्त्री जी ने बताया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे कितना रुपया अब तक वसूल हुआ है और जो उन्होंने वसूली पेश की है, उसमें दो का हिसाब विवादास्पद बताया है, तो इसकी सूचना कब मिली और उसके समाधान के लिए उन्होंने क्या किया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, यह रिकवरी सर्टीफिकेट विद्युत् परिषद् भेजता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। हमने टेलीफोन पर भी कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमें सही आंकड़े दे सकें, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो पाया है कि भू-राजस्व विभाग ने वास्तव में क्या वसूल किया है और हमारे हिसाब में ट्रान्सफर किया है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मैं यह निवेदन करूंगा कि चूंकि मन्त्री जी इस प्रश्न के सम्बध में तैयार होकर नहीं आए हैं, इसलिए कृपया इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें और अगले आज ही के दिन ले लें और उस दिन मन्त्री जी पूर्ण सूचना दे दें, तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना कलेक्टर से सम्बन्धित है, यह उसके बारे में है। इसमें स्थगन का प्रश्न नहीं है।

*9—श्री बाबू राम वर्मा—

[उरे गुरुवार के लिए स्थगित।]

गोसाईगंज, जिला फैजाबाद के महिला अस्पताल के लिए स्टाफ की मां

*10—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जिला फैजाबाद के गोसाई-गंज कस्बे में महिला चिकित्सालय का निर्माण लगभग 6 वर्ष पूर्व हो गया था लेकिन अभी तक वहां कोई स्टाफ नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मन्त्री उक्त अस्पताल के लिए शीघ्र स्टाफ भेज कर उसे अविलम्ब चालू करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह---

जी नहीं। गोसाईगंज, जिला फैजाबाद का महिला अस्पताल भवन अभी पूर्ण-रूपेण बन कर तैयार नहीं हुआ है। आशा है कि भवन शीघ्र ही पूरा होन के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायगा। अस्पताल भवन के स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरण के उपरान्त उसके लिए स्टाफ आदि की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---

यहां शोर बहुत हो रहा है, आप लोग शान्त रहिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब और कितने दिन में बनाकर दुबारा हैन्ड-ओवर करने के निर्देश के साथ सौंपा गया था और अब तक कितना काम पूरा हुआ तथा कितना काम बाकी है ?

श्री कल्याण सिंह---

इसके निर्माण की स्वीकृति सन् 1972 में दी गई थी और अब काम बहुत कम शेष रह गया है। इसमें चिकित्सा भवन में पेंटिग, दरवाजे खिड़कियों की फिनिशिंग, सेनेटरी का काम तथा फिनिशिंग टच का काम तथा आवासीय भवन में दरवाजे खिड़कियों की पेंटिग, बिजली के पंखे आदि लगाने का काम बाकी है। वैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि दो महीने में, वह उसे कम्पलीट करके स्थानान्तरित कर देंगे। यह जैसे ही पूर्ण होकर मिल जायगा, स्टाफ आदि की व्यवस्था अवश्य कर दी जाएगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई ऐसा पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1977 का मिला है, जिसमें उन्होंने भवन को दिनांक 8 जुलाई, 1977 तक कम्पलीट करके स्वास्थ्य विभाग को सौंप देने का आश्वासन दिया है और उस आधार पर सी0 एम0 ओ0 ने उस हेतु स्टाफ की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह---

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बात की, उसके आधार पर कह सकते हैं कि दो महीने में पूरा करके उसे हमें स्थानान्तरित कर देंगे। जैसे ही वह सौंप देंगे, आगे की बात हम पूरी कर देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब मन्त्री जी ने अधिकारियों से निश्चित कर लिया कि दो महीने म सार्वजनिक निर्माण विभाग यह भवन स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित कर देगा, तो क्या मन्त्री जी उसके पूर्व तत्काल वहां जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी नियुक्ति करके अस्पताल में पहले से उनको वहां नियुक्त कर दें ताकि उनको मालूम हो जाय कि अब तक क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों को भी मन्त्री जी के सामने ला सकें ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न उठता नहीं। जब भवन तैयार हो जायगा और पी0 डब्ल्यू0 डी0 हस्तान्तरित कर देगा, उस समय स्टाफ मुकर्रर करेंगे। उसका शैड्यूल होता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह बात नहीं है। स्टाफ की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग करेगा। स्वास्थ्य विभाग अगर चाहे तो स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है और तब तक वहां स्टाफ किराए के भवन में ही रह सकता है, एक आध महीने। ऐसे भी बहुत से स्थान हैं, जहां भवन नहीं है फिर भी स्टाफ है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि अगर दो महीने की अवधि है, तो उसके पूर्व वहां स्टाफ नियुक्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या वहां पर किराए के मकान में अस्थायी रूप से अस्पताल खोलेंगे ? यह प्रश्न है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जब भवन बन कर तैयार हो गया केवल दो महीने का प्रश्न है। किराए पर भवन लेकर अस्पताल खोलना उपयुक्त नहीं है। हस्तान्तरण होते ही उस वक्त पूरी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री आर० पी उपाध्याय, उप खंड अधिकारी, विद्युत् अनुरक्षण खंड, शाहजहांपुर द्वारा अनियमित रूप से दिया गया वर्क आर्डर

*11—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1976 में विद्युत् अनुरक्षण खंड, शाहजहांपुर में उपखंड अधिकारी द्वितीय (श्री आर० पी० उपाध्याय) ने लगभग 3 लाख रुपए के वर्क आर्डर्स किए थे ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उच्च अधिकारियों से अग्रिम आदेश प्राप्त कर लिए थे ? यदि नहीं, तो सरकार ने इनके विरुद्ध नियमों की अवहेलना करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्ष 1976 में दिनांक 1 जनवरी, 1976 से लेकर दिनांक 28 जुलाई, 1976 तक की नियुक्ति अवधि में श्री आर० पी० उपाध्याय, उपखंड अधिकारी द्वितीय, विद्युत् अनुरक्षण खंड द्वितीय ने लगभग 1.12 लाख रुपए के वर्क आर्डर्स किए थे।

श्री उपाध्याय ने पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत् वितरण मन्डल, बरेली ने बाद में अनुमोदन प्रदान किया।

उक्त अनियमितता के लिए श्री आर० पी० उपाध्याय को निलम्बित कर दिया गया है तथा अधीक्षण अभियन्ता का भी स्पष्टीकरण उचित कार्यवाही हेतु मांगा गया है।

श्री डी० पी० बोरा—

क्या विद्युत् मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन अनियमितताओं के लिए चेयरमैन, यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कई पत्र लिखे गए, पर उन पर कोई आदेश नहीं हुआ और इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिन लोगों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की थी, कोई सख्त कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री डी0 पी0 बोरा—

क्या माननीय मन्त्री जी इस तरीके के परिपत्र विभाग के अधिकारियों को भेजने की कृपा करेंगे जिससे भविष्य में इस तरीके की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट आदेश हैं, खरीदारी के लिए। सबके स्तर बने हुए हैं, उसके आगे कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन जो लोग अपनी सीमा से बाहर जा कर खरीदारी किये हैं, उन्हें सब प्रकार से जो न्यायसंगत होगा दन्डित किया जायगा, कार्यवाही की जायगी। परिपत्र भेजने का प्रश्न नहीं है। पहले से नियम है कि इस हद तक ही वह खरीदारी करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन अनियमितताओं की सूचना विभाग को कब मिली और उस अधिकारी. को कब निलम्बित किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, यह जो कुछ आपत्तियां आयी हैं, दिनांक 1 जनवरी, 1976 से लेकर और दिनांक 28 जुलाई, 1976 के बीच की हैं। सूचना के अनुसार इस प्रश्न के बाद ही यह मामला सामने आया और तब वह निलम्बित किए गए।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आप किसी प्रश्न पर अधिक समय देते हैं और किसी पर कम देते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर अधिक समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। यह प्रश्न समाप्त हुआ। आप शान्त रहिए, आप व्यवधान डाल रहे हैं।

*12—श्री राम दत्त जोशी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

नगरपालिका नैनीताल का भंग होना

*13—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन मन्त्री को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 14 जुलाई, 1977का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें नगरपालिका नैनीताल को जनधन का दुरुपयोग, नियमों और राजाज्ञाओं के प्रतिकूल आचरण करने इत्यादि अनेक आरोपों के कारण भंग कर दिए जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मामले में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

जी हां। उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 के दिनांक 10 अगस्त, 1977 से लागू

होने के फलस्वरूप प्रदेश की अन्य स्थानीय निकायों की भांति नगरपालिका बोर्ड नैनीताल में भी अध्यक्ष एवं सदस्यगण अब अपने पद पर नहीं रह गए हैं। अत : इस मामले में अब किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

श्री रामदत्त जोशी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सही है कि नगरपालिका भंग हो गयी है, लेकिन जो जन धन के दुरुपयोग के आरोप में थे, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, 14 जुलाई, 1977 को माननीय सदस्य ने एक पत्र शासन को लिखा था, जो मुझे सम्बोधित था, उसमें उनकी शिकायत थी कि म्युनिसिपल बोर्ड, नैनीताल को भंग कर दिया जाए, उसमें किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत नहीं थी और न आरीप थे और और इस कारण नगरपालिका तो भंग कर दी गयी है फिर भी यदि किसी के विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप पाए जाएंगे तो निश्चित रूप में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और यदि यह जानकारी होगी कि किसी ने अपराध किया है, तो मामला न्यायालय जांच में भेज दिया जाएगा ?

श्री राम दत्त जोशी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रार्थना-पत्र दिया था, उसमें यह स्पष्ट किया था कि उस नगरपालिका के अधिकारियों और अध्यक्ष के विरुद्ध विशेष अनियमितताओं के आरोप हैं, इसलिए नगरपालिका को भंग कर दिया जाए, तो जो आरीप थे आप उनकी जांच करायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय विधायक के पत्र में कोई स्पष्ट आरोप नहीं है और आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ दूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कोई स्पष्ट आदेश नहीं थे, तो क्या इस म्युनिसिपैलिटी को भंग कराने के लिए यह पत्र लिखवाया गया था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उस नगर महापालिका के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसे प्रोटेक्शन दिया और उसे भंग नहीं किया।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय मन्त्री जी क्या बताने का कष्ट करेंगे . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अगर अनुमति दें, तो मैं बता सकता हूं कि किस तरह से यह मामला दबा रहा। तो मैं इस सदन को और सारे प्रदेश को उसकी जानकारी दे दूं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे नैनीताल की नगर-पालिका में और उसी तरह से 54 जिले की 27 नगर महापालिकाओं में अध्यक्षों के और

नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण प्रदेश की सभी नगरपालिकायें भंग की गयी हैं। तो क्या उन मामलों को लोकपाल के सुपुर्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि यह केवल नैनीताल से सीमित था ?

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल नगरपालिका के विरुद्ध वहां के जिलाधिकारी द्वारा कुछ आरोप सरकार को प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस मामले में गत 3-4 वर्ष से नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इसी बीच में जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थायें प्रदेश में हैं, सबको भंग कर दिया गया है। इसलिए इसमें किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न केवल इतना है कि क्या सरकार को जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा नगरपालिका के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं अर्थात् क्या वहां के डी0 एम0 ने उनके खिलाफ शिकायतें आपके पास भेजी हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जिलाधिकारी ने अपनी ओर से कोई शिकायत नहीं भेजी है, लेकिन पूर्व में शासन को वहां के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मुझे भी जब से मैंने अपना पद संभाला है कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनको मैंने जिलाधिकारी के पास भेजा है। व्यक्तिगत रूप से जितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच कराई जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

मेरठ नगर में अनधिकृत रूप से कतिपय कालोनियों का विकास

1—श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ का "मास्टर प्लान" कब बनाया गया था ? क्या सरकार को ज्ञात है कि मास्टर प्लान में दर्शाए गए ग्रीन बेल्ट के स्थान पर अब बहुत सी कालोनी बस गई हैं ? यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं तथा ऐसी अवस्था में मास्टर प्लान को सरकार "रीसेट" करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरठ का मास्टर प्लान वर्ष 1966 में बनाया गया था परन्तु वह अभी तक शासन द्वारा अनुमोदित नहीं है। उक्त मास्टर प्लान में दर्शाए गए ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कतिपय कालोनियों का अनधिकृत रूप से विकास हुआ है जिनके नाम इन्द्रानगर, मधुवन नगर आदि हैं। अनधिकृत रूप के विकसित कालोनियों को महायोजना में समायोजित करने हेतु महायोजना को संशोधित अथवा पुनरीक्षित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त।

राजकीय चिकित्सालय, खेड़ारठ (शाहजहांपुर) के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण की मांग

3—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि राजकीय चिकित्सालय, खेड़ारठ, जिला शाहजहांपुर जिस इमारत में था वह कुछ दिन पहले गिर गई जिसमें चिकित्सालय के सामान का हजारों का नुकसान हुआ है और कम्पाउन्डर की जान मुश्किल में बची ? क्या यह भी सही है कि शाहजहांपुर के संसद सदस्य ने अनेक पत्र जुलाई, 1977 तथा उससे पूर्व इस औषधालय की असुरक्षा के विषय में स्वास्थ्य मन्त्री व मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को लिखे ? यदि हां, तो आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

राजकीय चिकित्सालय, खेड़ारठ, जिला शाहजहांपुर की स्थापना फरवरी, 1973 में श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा नि: शुल्क दिए गए भवन में की गयी थी। उक्त भवन की एक कोठरी तथा उसके आगे का भाग खपरैल का था। उक्त खपरैल का आगा भाग अधिक पुराना होने के कारण, दिनांक 14 जुलाई, 1977 की सायंकाल गिर गया जिसके फलस्वरूप एक मेज, एक कुर्सी तथा कुछ अन्य सामान टूट गए।

जिस समय खपरैल गिरा था उस समय वहां पर फार्मेसिस्ट नहीं था अत: उन्हें कोई क्षति नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का एक पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने उक्त भवन के 80 रुपए मासिक किराए की मांग की थी ताकि भवन की मरम्मत करा सकें। चूंकि गृह स्वामी ने उक्त भवन को नि: शुल्क शासन को दिया था, अत: किराए की स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि खेड़ारठ में सरकारी अस्पताल के भवन का निर्माण कब तक हो सकेगा।

आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, घपले और घोटाले तथा उत्तर-पुस्तिकाओं के नष्ट किए जाने की गम्भीर समस्या से विश्वविद्यालय की गरिमा व प्रतिष्ठा क्षीण हो चुकी है। इसी कारण आगरा कालेज दिनांक 30 अगस्त, 1977 को बन्द हो गया तथा छात्र हड़ताल पर हैं। परीक्षा पुस्तिकाओं की गोपनीयिता समाप्त हो गई है, नियमों की अवहेलना करते हुए फर्जी पुनर्मूल्यांकन किए जा रहे हैं और बिना किसी पुनर्मूल्यांकन के फर्जी तौर पर नम्बर बढ़ा कर छात्र पास किए जा रहे हैं, संकाय के अधिष्ठाताओं की नियुक्तियों में योग्यता व शिक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है तथा कला संकाय के प्रवक्ताओं को विज्ञान संकाय का अधिष्ठाता बनाया गया जिससे छात्र व प्रवक्ताओं में बड़ी बेचैनी है।

सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और प्रवक्ताओं व छात्रों का मानस हिल उठा है और यह असंतोष की ज्वाला प्रदेश भर के कालेजों में एक दम फैलने वाली है जिससे सरकार की बड़ी बदनामी होगी।

अस्तु सदन को यह महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को विश्वविद्यालय में और सम्बन्धित कालेजों में सुधारा जाय और इस सभी मामले की जांच सी० आई० डी० को सुपुर्द की जावे और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को दन्डित किया जाय जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे।

झिनकू लाल इन्टर कालेज, कलवारी, जिला बस्ती के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, झिनकूलाल इन्टर कालेज, कलवारी, जनपद बस्ती के प्रधानाचार्य की अनेकों अनियमितताओं के विरुद्ध इस संस्था के 39 कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 1977 से शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय के समक्ष अनिश्चित-कालीन अनशन से उत्पन्न हुई स्थिति में शासन द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अत्यावश्यक है।

मान्यवर, बस्ती जिले के झिनकूलाल इन्टर कालेज कलवारी, बस्ती के प्रधानाचार्य श्री उमा शंकर पांडेय के अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, पद का दुरपयोग, गबन, छात्रों के प्रति दुर्व्यवहार, शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के मारने-पीटने के सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें, स्थानीय जनता की अनेकों शिकायती पत्र तथा शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के सामूहिक शिकायती पत्र समय-समय पर शासन को भेजे गए। परन्तु किसी पर भी कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं हुई। शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों ने प्रधाना-चार्य, श्री पांडेय के ऊपर अपने लगाए गए आरोपों की जांच एवं उनको विद्यालय से निष्कासित करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कई ज्ञापन दिए। कोई उत्तर न मिलने पर पूर्व सूचना के आधार पर विवश होकर 31 अगस्त, 1977 को अनिश्चितकालीन अनशन (आमरण अनशन) 39 व्यक्तियों ने प्रारम्भ कर दिया है। ज्ञातव्य है कि उक्त आरोपों के आधार पर प्रबन्ध समिति ने श्री उमाशंकर पांडेय का प्रधानाचार्य पद से सेवा विमुक्त का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है परन्तु भूतपूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती एवं भूतपूर्व उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मन्डल, गोरखपुर ने पक्षपात करके न निलम्बन का अनुमोदन किया और न सेवा विमुक्ति के सम्बन्ध में ही कोई निर्णय दिया।

प्रधानाचार्य ने 24 अगस्त, 1977 को विद्यालय में कुछ अराजक तत्वों को उभाड़ कर शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों एवं छात्रों को मारपीट कर आतंकित करने का प्रयास किया जिसमें लगभग 12 छात्रों को बुरी तरह से चोटें आयीं। अपने निवास स्थान के छप्पर को फुंकवा कर फर्जी मुकदमों में शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को फसाने के लिए षड्यन्त्र किया है जिसके कारण जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ने अनिश्चित काल के लिए विद्यालय को बन्द कर दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम वर्मा]

विद्यालय का वातावरण श्री उमाशंकर पांडेय, प्रधानाचार्य ने दूषित कर दिया है। असामाजिक तत्वों के साहारे पर विद्यालय में अराजकतापूर्ण स्थिति पैदा कर दी है जिसके कारण जनजीवन एवं लगभग 1300 छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसी विषम स्थिति में आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रधानाचार्य को हटाकर उनके स्थान पर किसी नये प्रधानाचार्य की नियुक्ति करा के विद्यालय को शांत वातावरण में चलाने की व्यवस्था की जाय तथा प्रधानाचार्य के ऊपर जनता, शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों एवं प्रबन्ध समिति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करायी जाय। 39 शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों का अनशन तत्काल समाप्त कराया जाय।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए आयु निर्धारण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आपके माध्यम से निम्नलिखित सूचना देता हूं :—

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हाई स्कूल की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में कक्षा 5 पास वही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होंने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा कक्षा 5 से 5 वर्ष पूरे हो गए हों। परन्तु अभी तक यह नियम था कि कक्षा 8 पास व्यक्ति दो वर्ष की अवधि पूरी करने पर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के नाते प्रवेश पा सकते थे, उनकी न्यूनतम आयु पर कोई सीमा नहीं थी। शासन के इस निर्णय से पूरे प्रदेश में एक असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी है, क्योंकि वर्ष 1976 में आपात्कालीन स्थिति के दौरान जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा ली ही नहीं गयी। जिसके कारण अब उस वर्ष के लिए इच्छुक व्यक्ति या तो पहले जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा पास करें अथवा 20 वर्ष की आयु पूरी करने की प्रतीक्षा करें तब परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्टि पा सकते हैं।

अतएव इस विसंगति को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष 1978 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश के लिए 20 वर्ष की आयु का बन्धन मुक्त कर दिया जाय। निर्णय तत्काल आवश्यक इसलिए है क्योंकि फार्म भरना प्रारम्भ हो रहे हैं। मांग राज्य सरकार से की जा रही है कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् को तत्सम्बन्धी निर्देश देकर छात्रों को राहत प्रदान करें।

ग्राम बदरपुर, जिला बदायूं में मस्जिद बनाने पर साम्प्रदायिक दंगा होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जिला बदायूं में बिसौली के पास बदरपुर गांव है . . .

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना आपने दी है, कृपया उसी को पढ़ें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री रियासत हुसैन---

वही सूचना है। 22 तारीख को कुछ लोगों ने मुसल्लह होकर एक मस्जिद के बनाने पर जो झगड़ा था उसके ऊपर वहां के मुसलमानों पर हमला किया। उसमें कुछ दोनों तरफ से मार-पिटाई हुई और पुलिस ने 100 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके असर में बरेली जिला और मुरादाबाद जिला, जो बदायूं से मिले हुए हैं। वहां पर अकलियों पर हुए इस हमले से आतंक फैला हुआ है और पब्लिक में बड़ा असंतोष, भय और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। आपके जरिए से मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

नोटीफाइड एरिया, खलीलाबाद, जिला बस्ती में गबन तथा अनियमितताओं के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान नोटीफाइड एरिया खलीलाबाद, जिला बस्ती के गबन, अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, धन के दुरुपयोग की तरफ दिलाना चाहता हूं। संजय गांधी के आगमन पर लगभग 60 हजार रुपया, चन्द्रशेखर आजाद तथा जवहारलाल नेहरू की प्रतिमा के अनावरण में लगभग 60,000 रुपया कर्मचारियों की साठ-गांठ से हड़प लिया।

पूर्व रेलवे मन्त्री, माननीय कमलापति त्रिपाठी के नाम पर मार्केट और सड़क निर्माण बिना एस्टीमेट नक्शा बनाए लाखों रुपया खर्च दिखाया जबकि उसकी स्वीकृति न अधिकारियों ने ही ली और न पहले से ही स्वीकृति है, जिसमें पचासों हजार रुपया श्री खन्ना, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष हड़प कर गए। रेलवे विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि नोटीफाइड एरिया को 26 पेड़ जिनमें 11 शीशम, आम, जामुन आदि के, जिनका मूल्य 25,000 रुपया लोगों ने तय किया था, श्री खन्ना, भूतपूर्व अध्यक्ष हड़प कर गए।

सुभाष ट्रेडिंग कम्पनी, खलीलाबाद, जो पूर्व अध्यक्ष, ओम प्रकाश खन्ना की निजी है, उसके माध्यम से नोटीफाइड एरिया, खलीलाबाद जल-कल विभाग से हजारों रुपया हड़प कर गए।

श्री खन्ना ने अपने निवास से ऊपरी मंजिल में सुभाष ट्रेडिंग कम्पनी की बनावट व सजावट नोटीफाइड एरिया का धन लगा कर किया और उक्त तथ्यों को छिपाने के लिए ईंटा का चोरी चला जाने का जाल बनाया।

नोटीफाइड एरिया की लाखों रुपए की जमीन श्री खन्ना हड़प गए।

श्री ओम प्रकाश खन्ना ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहुत से बदमाश एवं गुन्डों को नोटीफाइड एरिया में नियुक्त किया जिनकी संख्या 150 से अधिक है परन्तु उसकी स्वीकृति नियमत : नहीं ली गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री सुखपाल पांडेय]

ओम प्रकाश खन्ना, पूर्व अध्यक्ष, नोटीफाइड एरिया ने अपने कार्यकाल में अनेकों लाखों रुपए की गड़बड़ियां की जिसकी सूची साथ में संलग्न† की जा रही है जो निसार अहमद, अध्यक्ष, जनता सेवा समिति द्वारा प्रमाणित 1 से 15 तक है।

श्री ओम प्रकाश खन्ना के विरुद्ध जब से मुकदमा कायम हुआ है और नोटीफाइड एरिया भंग की गयी है तब से लखनऊ में घूम कर विधायकों पर प्रभाव डाल कर मामले को खत्म कराना चाहते हैं और अभी तक श्री खन्ना को गिरफ्तार नहीं किया गया। श्री खन्ना को लोग बहुत ऊंचा कलाकार बताते हैं और बस्ती जिले के लोग उन्हें नटवरलाल की संज्ञा देते हैं।

जिलाधिकारी, बस्ती की साठ-गांठ से सारी अनियमिततायें हुई हैं क्योंकि अनेकों प्रार्थना-पत्र लोगों ने जिलाधिकारी, बस्ती को दिए, जांच करने की मांग की, परन्तु जिलाधिकारी ने तथ्यों की छानबीन न करा कर उस पर पर्दा डालने का हमेशा प्रयास किया।

फर्जी ढंग से सड़कों का निर्माण दिखाना, कर्मचारियों की ड्यूटी दिखाना, यात्रा भत्ता दिलाना, इस प्रकार के कार्यों से जनता में घोर असन्तोष है।

विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि जिले के अधिकारियों की सांठ-गांठ से नोटीफाइडएरिया, खलीलाबाद के तमाम कागजों को ताला तोड़ कर उठवा लेने की साजिश की जा रही है जिसमें लाखों रुपए की साजिश,गोलमाल प्रमाणित है और संजय के दौरे के अवैध खर्चों को छिपाना चाहते हैं।

अत : आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों की छानबीन प्रान्तस्तर के अधिकारी से करायी जाय और तत्काल आदेश दिया जाय कि श्री ओम प्रकाश खन्ना, जिनके विरुद्ध मुकदमें कायम हैं उन्हें तत्काल जहां भी हों लखनऊ, बस्ती, खलीलाबाद में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाय।

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति तथा अनुपूरक प्रश्नों पर व्यवस्था के प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रम मन्त्री जी। (श्री शिवानन्द नौटियाल के खड़े होने पर) आप बैठिए, मैंने दूसरा आइटम ले लिया।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने एक प्रश्न विभाग को दिनांक 3 अगस्त, 1977 को दिया जो विभाग को दिनांक 10 अगस्त, 1977 को मिला। यह प्रश्न लखनऊ की नगरमहापालिका से सम्बन्धित है। आज वह प्रश्न स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 दिन के बाद यह प्रश्न आएगा। तो मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन और माननीय अध्यक्ष महोदय की गरिमा सर्वविदित है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा प्रश्नों का शीघ्रातिशीघ्र उत्तर दिलाना भी आपकी ही गरिमा के अन्तर्गत है, ताकि कार्य ठीक हो सके। एक घंटे में जो सूचना सामने से मिल सकती है उसके लिए

---

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर एक मास से ज्यादा का समय देना पड़ेगा तो जो प्रदेश के अन्य भाग हैं वहां के लिए कितना समय देना होगा। तो मैं सिर्फ आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिनका कि शीघ्रातिशीघ्र उत्तर मिल सकता है, उसको तुरन्त दिलावने के लिए कार्यवाही की जाय ताकि जो सरकारी पक्ष को कहा जाता है कि कर्मचारी हावी होते जा रहे हैं, वह न हो सके।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं। आप बैठिए।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इस पर कोई विवाद नहीं कर रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न आया कि इसकी उनके पास अपूर्ण सूचना है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करना पड़ा। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर यथाशीघ्र देने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, अपूर्ण जानकारी नहीं देना चाहता था केवल इसीलिए समय लिया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अब तक सदन की यह परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं उन पर जो सप्लीमेन्टरी होता है, उनको एक सप्लीमेन्टरी का अवसर दिया जाता रहा है। मान्यवर, सारी बातों को सुनने के बाद कुछ बातें रह जाती हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य प्रश्न करें उनको प्रश्न के अन्त में एक सवाल पूछने का अवसर आप निश्चित रूप से दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

यह जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह उचित समझता हूं कि जो प्रश्नकर्ता है साधारणतया उनको 2 अनुपूरक प्रश्न पूछने की सुविधा है और अन्य सदस्यों को जिनके प्रश्न नहीं हैं, उनको एक प्रश्न पूछने की अनुमति है। यह कोई उचित बात नहीं है कि प्रश्नकर्ता को अन्त में एक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाय। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज जैसे 13 प्रश्न थे, यथासम्भव यह प्रयत्न करना चाहिए कि सब प्रश्नों को 1 घंटे के अन्दर ले लिया जाय। यह प्रयास होना चाहिए कि एक प्रश्न पर 5–7 मिनट से ज्यादा समय न लगे। अगर 5–7 मिनट से ज्यादा समय लगेगा तो दूसरे माननीय सदस्यों को जिनके कि प्रश्न बाद में होते हैं, उनको बड़ी असुविधा होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

इसलिए माननीय सदस्य यह ध्यान रखें जिनके प्रश्न नहीं हैं, वे एक अनुपूरक प्रश्न पूछें। इससे मुझको भी थोड़ी सी कठिनाई होती है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपसे इस विषय पर एक व्यवस्था चाहूंगा कि प्रश्न स्थगित करने के लिए दो कारण हो जाते हैं, एक तो जैसे विभाग से सूचना न आवे, दूसरा जो सूचना आवे, उससे माननीय मन्त्री जी संतुष्ट न हों और दुबारा समय मांगे, तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब माननीय मन्त्री जी स्वयं यह देखें कि सूचना अपूर्ण है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि उनको समय की जरूरत हो, तो माननीय सदस्य को भी इस बात की सूचना दें कि चूंकि विभाग से सूचना अपूर्ण आयी है और हमने सूचनायें मांगी हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए समय और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो कार्यक्रम जब आप देखेंगे, उसमें स्थगित रहता है। इसलिए पृथक से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्रम मन्त्री को पुकारने पर)

श्री मोती लाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, मुझको एक मिनट सुन लिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको बुलाया नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैंने, मान्यवर, शून्य प्रहर के लिए एक गम्भीर मामला दिया था। और उस विषय की गम्भीरता को देखते हुए.....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस पर आकर कक्ष में बात करें। इस पर मैंने निर्णय कर दिया। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं स्थान ग्रहण कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

31 मार्च, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 25 के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर शोधन वक्तव्य

*श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 31 मार्च, 1977 को श्री राम सजीवन, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 25 के सम्बन्ध में श्री राम सजीवन ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि यह जो पत्र शासन को कर्मचारियों का प्राप्त हुआ है उसमें क्या-क्या मुख्य आरोप लगाए गए हैं ? मेरी जानकारी है कि कर्मचारियों ने सिनेमा मालिकों पर आरोप लगाया है कि वे उनसे नम्बर दो का टिकट बिकवाते थे और कर्मचारी नहीं बिकवाना चाहते थे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, कर्मचारियों को निकाला गया और सिनेमा बन्द किया गया ? यदि पत्र में इस बात का उल्लेख है तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि यह सब मामला कोर्ट में चलता रहा और सेवायोजकों ने स्टे ले लिया था। अब यह स्टे 3 फरवरी, 1977 को वैकेट हुआ है और उनके आठ कर्मचारी, अब काम कर रहे हैं, दो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। जो पुराने लोग थे उनमें से दो को नहीं लिया है, आठ को लेकर काम चला रहे हैं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :—

यह सब मामला कोर्ट में चलता रहा और सेवायोजकों ने मुंसिफ, मैजिस्ट्रेट, बांदा के आदेश दिनांक 4 अगस्त, 1976 जिसमें उन्होंने आदेश दिए थे कि जब तक विवाद का फैसला न हो जाय या पुराने प्रबन्धक किसी नए कर्मचारी को कार्य पर न लेवें, के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से दिनांक 26अगस्त, 1976 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। यह स्थगन आदेश 3 फरवरी, 1977को 'वैकेट' हो गया था। लेकिन इसके बाद इस मामले से सम्बन्धित कई वाद अभी भी जिला न्यायालय, बांदा तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं। इस समय मेसर्स एलायड सिनेमा, कर्वी में पुराने 10 कर्मचारियों में से केवल 2 कर्मचारी सर्वश्री मूल चन्द और देवी दयाल कार्य कर रहे हैं और शेष 8 कर्मचारी इस प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं हैं।

मुख्य बात यह है कि पहले यह कहा गया था कि 8 काम कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः स्थिति यह है कि 8 काम नहीं कर रहे हैं और 2 कर रहे हैं। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ 437 पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है .....

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं होता है। अनुपूरक प्रश्न पर वक्तव्य आ गया जो कि 31 मार्च के बारे में उत्तर दिया है। इसलिए इस पर कोई अनुपूरक नहीं किया जा सकता। आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 †

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को पुर स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977†

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 †

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद बोस)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनांक 1 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री जमुना प्रसाद बोस——

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री हुक्म सिंह परिहार का प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने आगरा जनपद में तहसील फतेहाबाद व बाह में असिंचित खेतों पर नलकूप विभाग के सख्ती से आबपाशी वसूल करने के कारण जनता में रोष एवं गम्भीर स्थिति के बारे में दिया है तो जब बजट पर सामान्य विवाद होता है तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जाती है। चूंकि बजट पर इस प्रकार के सब प्रश्नों को सदन के सामने लाने का अवसर मिलता है। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)——

[× × ×]

श्री अध्यक्ष——

परिहार जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बजट पर चर्चा के समय नहीं आ सकता। बजट पर सामान्य चर्चा को स्थगित करके आपको अनुमति दी जाय, यह अनुचित है। इसीलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हुक्म सिंह परिहार——

इसमें आप मन्त्री जी का वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष——

आप अपने भाषण में मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री हुक्म सिंह परिहार——

उससे कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष——

आप नियम के अनुसार ही कोई बात कह सकते हैं। आप इतने पुराने सदस्य हैं। बजट के समय कार्य-स्थगन की अनुमति नहीं दी जाती।

1977-78 के आय व्ययक पर सामान्य विवाद†

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)——

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान उस निर्णय की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो इलाहबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल में दिया है। उन्होंने लेजिस्लेचर का ध्यान 167-सी आर0 पी0 सी0 की तरफ आकर्षित किया है। जब पुलिस किसी मुल्जिम को अदालत के सामने हाजिर करती है और जब उसकी जांच, यानी इन्वैस्टीगेशन 24 घंटे के अन्दर समाप्त नहीं हो पाता तो उसे जुडिशियल कस्टोडी में जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब एक मुल्जिम अदालत के सामने स्वतः सरेन्डर होता है

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†31 अगस्त, 1977 की कार्यवाही से।

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि उस मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है कि वह उसके हाजिर होने पर उसे जेल भेज सके। इसका परिणाम यह होता है कि मुल्जिमान को थाने पर जाना पड़ता है और सरेन्डर करना पड़ता है। थाने में उसकी क्या हालत होती है हम सभी जानते हैं। वहां उसे तरह-तरह की परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं। इस कारण मुल्जिमान के बीच में, लिटीगेट्स के बीच में त्राहि-त्राहि मची हुई है। उनका कितना रुपया खर्च होता है, उनको कितना इकनोमिक हैरेसमेंट होता है यह हम सभी जानते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जहां तक 167 का सवाल है उसमें संशोधन किया जाय। That whenever the case is brought before the court इसके बाद यह शब्द बढ़ा दिए जायं when the accused appears or surrenders before the Court दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का एक आदेश है 20 अगस्त, 1977 का। सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया है जो कि 27/28 वर्ष पूर्व होना चाहिए था जब नवम्बर, 1949 में कांस्टीटुएन्ट असेम्बली द्वारा संविधान पारित हुआ था। आज सर्वप्रथम बैकवर्ड क्लासेज का रिजर्वेशन किया जा रहा है। यह ठीक है। हम जानते हैं कि इन 30 साल के अंदर उनका कितना शोषण हुआ होगा। सरकार ने बैकवर्ड क्लासेज का रिजर्वेशन किया है वह 15/15, 15 और 10 किया है वर्ग 1, 2, 3 और 4 की सर्विसेज में। जहां तक मेरी जानकारी है कि यह पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन बहुत ही न्यून है। संविधान की मंशा है कि बैकवर्ड क्लासेज या हरिजन का जो रिजर्वेशन होना चाहिए वह उनकी संख्या के आधार पर होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद 15 (4) का उद्देश्य समाज के निर्बल वर्ग को संरक्षण प्रदान करना है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गयी है। 15 प्रतिशत रिजर्वेशन किया गया है जबकि आप जानते हैं कि बैकवर्ड क्लास की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। यह 15(4) के अन्तर्गत किया गया है जिसमें केवल तीन प्रकार के लोग आते हैं। हरिजन वर्ग, अनुसूचित जन-जाति और अदर बैकवर्ड क्लासेज। इसके अलावा समाज के डिसएबल्ड व्यक्ति, पोलिटिकल सफरर आदि हैं। इनके लिए संरक्षण होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अन्य पिछड़े वर्ग, इनके लिए संरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक भी हो सकता है। इन तीन वर्गों के अलावा आपको डिसएबल्ड, पोलिटिकल सफरर के लिए भी रिजर्वेशन करना चाहिए जो सामान्य स्थानों में से होना चाहिए। वे 15 (4) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने यह भी कह देना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना जब पहले बनी थी उस समय यह कहा गया था कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए हम विशेष रूप से खर्च करेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। हमारे प्लानर्स इस राय पर नहीं आ सके थे कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया था कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट जब जायगी तब उसमें उल्लिखित जातियों पर रुपया खर्च किया जायगा। हमने देखा कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट सन् 1955 में आ चुकी थी। आज बीस-बाइस साल हो गए लेकिन हमारी सरकार को ध्यान नहीं रहा कि हमें क्या करना चाहिए था। यदि सन् 1955 में प्रस्तुत रिपोर्ट में मानी गयी होती कि पिछड़े वर्ग कौन-कौन हैं, तो हम समझते कि इनके सामाजिक और आर्थिक विकास की तरफ सरकार कदम उठाती लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इस सम्बन्ध में आपके सामने यह भी कह देना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के बारे में आंकड़े समय-समय पर इस सदन में जाते रहे हैं। हम समझते हैं कि विशेष परिस्थिति में इनके लिए रिजर्वेशन अधिक होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जो सन् 1952 से 1957 तक यहां के सदस्य रहे जब इस विधान सभा में एक प्रस्ताव नान आफिशियल पारित हुआ था। उस में कहा गया था कि बैकवर्ड क्लासेज का संरक्षण होना चाहिए और विधान की मान्यताओं के अनुसार उन को स्थान मिलना चाहिए। लेकिन देखा गया कि वह नान-आफिशियल प्रस्ताव जिसकी कुछ कांस्टीट्यूशनल सैंक्टीटी होती थी वह वेस्ट पेपर वास्केट में चला गया। इस सदन के जो प्रस्ताव होते हैं उनका कुछ महत्व होता है। मैं समझता हूं ये सरकार पर बाइंडिंग होते हैं। अत: मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि जो संरक्षण किया गया है इस को फिर देखें। इस रिपोर्ट के अन्दर कुछ मिस अनडरस्टैन्डिंग हैं, उसे दूर करें। इन तीन कैटेगरीज के लिए संरक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए और विशेष संरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए भी होना चाहिए। यह एक विशेष प्रश्न है जिस के बारे में आपको सोचना है क्योंकि इसका बड़ा व्यापक असर हमारे प्रदेश में पड़ सकता है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं सब से पहले आप से, नेता सदन से, वित्त मन्त्री जी से और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से हार्दिक क्षमा याचना करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं बजट पर बहस के प्रारम्भ के दिन अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सका अस्वस्थता के कारण। मैं आपका बहुत आभारी हूं, माननीय सदन का भी आभारी हूं कि आज मुझे यह अवसर दिया कि मैं इस बजट पर अपने कुछ विचार नम्रतापूर्वक व्यक्त कर सकूं।

सबसे पहले मैं माननीय वित्त मन्त्री श्री मधुकर दिघे को बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें यह सुअवसर मिला कि वह इस बजट को इस सदन के सामने पेश कर सकें। मैं विशेष रूप से इस नाते भी उन्हें बधाई देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि लगातार 7 वर्षों से सन् 1970-71 से मुझे जैसे अदना-सेवक को लगातार इस सदन में बजट पेश करने का अवसर मिला और नियोजन मन्त्री होने के नाते, स्टेट प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चैयरमैन होने के नाते भी मैं उस बजट को कार्यान्वित कराने में अपना विनम्र एवं क्षुद्र योगदान दे सका। मैं नए मन्त्री जी को जो उन्होंने प्रयास किया है औपचारिक रूप से बधाई देना अपना विशेष दायित्व समझता हूं।

श्रीमन्, बजट साहित्य एक बड़ा टैक्निकल साहित्य होता है आंकड़ों से भरा हुआ साहित्य होता है आंकड़ों के जंजाल से तथ्यों को निकालने में थोड़ा समय लगता है। कभी-कभी बजट भाषण पढ़ना और उसे सामान्य नागरिक के सामने रखना एक भार सा लगता है क्योंकि उसमें आंकड़े ही आंकड़े होते हैं सत्य तक पहुंचना कठिन सा लगता है। तो जहां बजट इतना टेक्निकल होता है वहां थोड़ा टैक्निकल आंकड़ों की तरफ भी जाना पड़ेगा। मैं केवल एक विरोधी दल के नेता के नाते ही नहीं बल्कि इस सदन का एक सम्मानित सदस्य होने के नाते और इस देश और प्रदेश का नागरिक होने के नाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

भी यह चेष्टा करूंगा कि जहां बजट की बारीकियों की तरफ जाऊं वहां दूसरी ओर मैं यह भी चेष्टा करूंगा कि क्या यह बजट प्रदेश की आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करने की ओर एक कदम है या नहीं।

श्रीमन्, यह बजट नयी सरकार का पहला बजट है। राज्यपाल के भाषण में पेज 7 पर यह कहा गया था कि योजना के बारे में विस्तार से आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय मेरी सरकार अपनी नीतियों की घोषणा करेगी। गवर्नर के ऐड्रेस में श्रीमन्, यह एलान किया गया था, स्पष्ट एलान किया गया था कि योजनाओं के बारे में शासन की नीतियां क्या होंगी उसके बारे में बजट में ऐलान किया जाएगा। मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की कि किसी नई नीति का ऐलान इस बजट में शब्दों के आडम्बर के रूप में नहीं, शब्द जाल के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में नई नीति की इसमें घोषणा होगी लेकिन मुझे सफलता नही मिली। इस बजट की दो तीन विशेषातायें कही गईं। यह कहा गया है कि इसमें कोई नया कर नहीं लगेगा। अखबारों में भी सुरखियां इस प्रकार की आई है कि कोई नया कर नहीं आया है। दूसरी विशेषता यह बताई गई है कि इसका घाटा जो 82 करोड़ 80 लाख का है उसको पूरा करना है। यह दो बातें बताई गई हैं।

पहले मैं सरकार की टैक्स पीलिसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं फिर इस घाटे के बार में कहूंगा। श्रीमन्, जो टैक्स के बारे में कहा गया है कि कर नहीं लगेंगे तो यह गलत है। अगर आप श्रीमन्, देखें तो बजट भाषण में जहां करो का उल्लेख है यह कहा गया है कि 'कराधान नीति विचाराधीन होने के कारण मैं इस आय-व्ययक में अतिरिक्त नए कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं, परन्तु कुछ राजस्व प्राप्ति मदों की दरों में अभिनवीकरण अथवा साधारण संशोधन करने के अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं।' तो मान्यवर, यह नए टैक्स कौन से लगाए जायेंगे इसके बारे में अभी पालिसी डिसिजन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस साल कोई नए टैक्स नहीं लगाए जायेंगे, बल्कि यह है कि बजट पेश होने की तारीख तक पालिसी टैक्सेशन की, नीति क्या होगी, इसके बारे में राज्य सरकार अपनी नीति नहीं बना पायी है। इसलिए इस बजट के दौरान में टैक्स नहीं लगेंगे, सारे वर्षों में नहीं लगेंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है।

दूसरी बात यह है कि इसमें दिया है—वास्तव में कुछ टैक्स लगाए गए हैं और मैं इस सन्दर्भ में जो मैंने स्वायत्त शासन मन्त्री से आग्रह किया था कि वह त्याग-पत्र दें, उसको वापस लेता हूं। क्योंकि उनकी मांग सरकार ने नहीं मानी। मन्त्रियों ने घोषणाएं कीं थी कि टैक्स नहीं लगेंगे, किन्तु वे लगे। शायद स्वायत्त शासन मन्त्री जी मन्त्रि-मण्डल में शोभायमान रहें, मुझे खुशी है, लेकिन उनका ऐलान इसमें कहीं नहीं लिया गया है। यह कहा गया था कि बिक्री-कर की सीमा 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी जायएगी, स्टाम्प खत्म कर दिया जायगा .यह कहा गया था कि परचेज टैक्स (बिक्री-कर) समाप्त कर दिया जायगा। इसी प्रकार के बहुत से ऐलान भिन्न-भिन्न मन्त्री ने किए, जिनका उल्लेख बजट में नहीं है। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वह देखें कि इस प्रकार के ऐलान कैसे हुए, या फिर बजट बदल गया। किन्तु मैं ऐसा कहने की धृष्टता नहीं करूंगा, क्योंकि में इस बजट की तैयारी की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, मुख्य मन्त्री तक भी इसे केवल सरसरी निगाह

से देखते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी वित्त मन्त्री की होती है और उसी का सारा उत्तरदायित्व है। वह चाहे तो किसी मन्त्री को विश्वास में ले सकता है। वहां पर विभिन्न मन्त्रिगण घोषणाएं करते रहे और उसके बाद उसका स्थान नहीं है बजट में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह किस प्रकार का प्रशासन है कि फाइनेन्स के मामले में महत्व की घोषणाएं पहले कर दी जाएं। इससे नुकसान यह होता है कि व्यापारी समझता है कि अब हमें यह कर वसूल नहीं करना है, किन्तु जब बजट में उसका उल्लेख नहीं होता है तो एक वित्तीय अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है, लोगों में एक वित्तीय आशंका उत्पन्न होती है। जिसको कोई सरकार बरदास्त नहीं कर सकती है। इसलिए जो मन्त्रियों द्वारा ऐलान किए गए, उसका पूरा विवरण आना चाहिए वित्त मन्त्री जी या मुख्य मन्त्री जी के उत्तर में क्या बात कही गयी थी और क्या नहीं कही गयी थी, उसकी सफाई इस सदन में होनी चाहिये, ताकि किसी प्रकार की कोई गलत-फहमी जनता में या इस सदन के सदस्यों में न रहे।

इस कराधान के बारे में एक मुख्य बात यह भी है। इसमें यह कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल पर जो सेल्स टैक्स है, वह निश्चित आधार पर नहीं लिया जायगा, बल्कि ऐड वेलरम लिया जाएगा। अर्थात् पैट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ेगी तो वह भी स्वत: बढ़ जायगा, बार-बार बढ़ाने की उसे आवश्यकता नहीं है। किन्तु इसकी सिफारिश लकड़वाला कमीशन ने नहीं की है। उनको इस सरकार ने आमन्त्रित किया था इस बात को खोजने के लिए कि उत्तर प्रदेश में कौन से नए टैक्स लगाने चाहिए। उनकी रिपोर्ट मौजूद है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में टैक्सेशन प्रणाली जुटाने के लिए उन्होंने सुझाव दिये थे। वह अब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं। उनको उत्तर प्रदेश के साधनों की कमियों और कठिनाइयों की पूरी जानकारी है, किन्तु उन्होंने ऐड वेलरम की सिफारिश नहीं की। आपने कर दिया, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएं, आप यथा-मूल्य बढ़ाएं।

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

यह डीजल पर नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राजस्व मन्त्री जी कहते हैं कि इसमें यह डीजल पर नहीं है। मैं इसे बजट स्पीच से पढ़े देता हूं—"यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल तथा डीजल आयल पर बिक्री-कर यथा मूल्य (ऐड-वोलरम) आधार में परिवर्तित कर दिया जाय।" राजस्व मन्त्री जी का भू-राजस्व से सम्बन्ध है इसलिए डीजल के राजस्व से उनका सम्बन्ध नहीं है। बढ़ा दिया जाय, कितना बढ़ाया जाय, किस प्रतिशत पर बढ़ाया जाय, यह नहीं लिखा है। 50 लाख रुपए की अतिरिक्त आय कैसे होगी? कितना परसेन्ट एड-वोलरम चार्ज होगा? केरल में 20 परसेन्ट है। दूसरे प्रदेशों में, लेकिन परसेन्ट मुकर्रर है कि इतना परसेन्ट लगेगा। आप पार्लियामेन्टरी पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। कोई भी टैक्स लगाया जाय, वह निश्चित होना चाहिए। कितना लगेगा यह जनता को मालूम होना चाहिए। गोलमोल बातें बजट में नहीं कही जाती हैं। निश्चित मालूम होना चाहिये कि इतना टैक्स है ताकि ग्राहक को, उपभोक्ता को मालूम हो। 50 हजार का एस्टीमेट किस हिसाब से लगाया गया, जब परसेन्टेज

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नहीं लिखा है । एक बुनियादी गलती बजट में यह है कि टैक्स बढ़ा दिया गया, दर नहीं बतायी गयी।

आगे चल कर बिक्री-कर के बारे में यही हाल है। बिक्री-कर की एक लम्बी लिस्ट है, मोटर टायर और ट्यूब तथा मोटर पार्ट्स, बेबी फूड, दुग्ध पाउडर, पिकनिक सेट, थर्मस फ्लास्क, कटलरी आदि, ग्लासवेयर्स, कच्चे ऊन, लोहे और इस्पात का फर्नीचर, बिजली के उपकरण, सिनेमा तथा फोटोग्रैफिक कैमरे तथा अन्य उपकरण, आदि आदि। इसमें यह कहा गया है कि दूसरे राज्यों में चूंकि हमारी आमदनी जाने लगती थी वहां कम सेल्स टैक्स है, इसलिए बिक्री-कर हम कम कर रहे हैं। यह भी कह दिया है कि डेढ़ करोड़ रुपये की वृद्धि बिक्री-कर में अब होगी। बड़ा अच्छा सिद्धान्त है। लेकिन बिक्री-कर की दर क्या होगी ? बिना दर बताए, मोटर टायर पर या दूसरी चीजों पर कितना घटेगा यह हिसाब कैसे आ गया ? जब यह नहीं मालूम कि दस से चार होगा या आठ होगा और यदि मालूम है तो सदन को क्यों नहीं बताया ? सदन से छिपाने की कौन सी बात है कि डेढ़ करोड़ का हिसाब इस परसेन्टज से लगाया। टैक्सेस नीति जो सरकार की है इस प्रकार की जो अस्पष्ट है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया। श्रीमन्, मुझे लगता है कि एस्टीमेट गलत है, क्योंकि ज्यादा आमदनी होने की सम्भावना है। इस प्रकार बिना कर की दर बताए हुए आय का अनुमान बता देना बजट सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। पटेल साहब ने केन्द्र का बजट पेश किया। उसी दिन फाइनेन्स बिल पेश हो गया। यहां ऐसी परम्परा नहीं है। प्रत्येक टैक्स जो लगेगा स्पष्ट होना चाहिए कि हर मद में इतना टैक्स लगेगा। प्रदेश में कभी ऐसी बात हुई है लेकिन हमने हमेशा कहा है गलत परम्परा है कि गोलमटोल प्रस्ताव पेश करें। सदन के सदस्यों का यह अधिकार है, बजट सबसे महत्वपूर्ण डाकूमेन्ट है प्रदेश के लिए, वह हमेशा सदन के सदस्यों के पास रहता है। इसलिए जरूरी है कि यह निश्चित रूप से मालूम हो कि कितना टैक्स है।

करों के बाद, अब टैक्सेशन पालिसी के बारे में जिक्र करना आवश्यक है। कर आगे यह जरूर लगायेंगे। कर लगाना बुरी बात नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह कहें कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा लेंगे, विकास कर लेंगे लेकिन कर के बिना कर लेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है ऐसा वातावरण पैदा करने से कि बिना टैक्स लगाए, सरकार को कुछ मत दो और सब कुछ ले लो। यह वातावरण बनाया गया है। बड़े खुशी की बात है कि इस वातावरण को बनाने में स्वयं वित्त मन्त्री जी को भी ख्याल आ रहा है। बड़ी शिकायत की है उन्होंने पिछले शासन की। मुझे इस बात पर बड़ा दुख हुआ। बजट भाषण जनरल भाषण के प्रकार का नहीं होता। बजट भाषण में पिछले शासन की आलोचना कर लें नीति के विरोध में। लेकिन बजट भाषण में इसके लिए उपयुक्त स्थल नहीं है, इस बजट भाषण में 20-25 जगह पुराने शासन की भर्त्सना की गयी है। एक जगह हो, दो जगह हो, आप केन्द्र के भाषण को ले लीजिए। जिसमें 2-3 जगहों पर तो जरूर लिखा है।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

जिज्ञासु के नाते एक विद्यार्थी के नाते कह रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं। मैं विचार बिन्दु रख रहा हूं उन्हें आप देखें। बजट भाषण को पोलिटिकल क्रिटिसिज्म का फोरम उसे नहीं

बना सकते हैं, लेकिन इस बजट भाषण में हम बार-बार इसका उल्लेख देखते हैं। जैसे यह कह गया कि पिछली सरकार ने संसाधनों को समाप्त कर दिया। साधन समाप्त कर दिए, बार-बार कहा गया। कई बार मन्त्रियों ने कहा कि दिवालिया हो गए, हमारा खजाना खाली है। मैं उनको सुनता रहा कि बजट आएगा। पिछली सरकार के आंकड़े देते हुए पिछली सरकार के बजट के बारे में कहा है। उन्होंने सच्चाई को सामने रखा। उन्होंने यह कहा कि अगर यहां पर इस साल ज्यादा भी खर्च हुआ है तो बिजली बोर्ड को ज्यादा रुपया देने से अधिक खर्च हुआ है। बजट भाषण के पृष्ठ 25 पर कहा गया है कि अधिक प्राप्तियां मुख्यत: कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप अनुमानित थीं। तो उत्पादक कार्यों के लिए वृद्धि हुई यह वित्त मन्त्री जी ने माना। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। कहा गया कि हमने संसाधनों का ह्रास कर दिया। यह हमारी कमी बतायी जाती है, केवल निर्णय करना उनके हाथ में है, जनमत के हाथ में था। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा निर्णय लिया गया जो अव्याहारिक था। उस समय आप विरोधी दल में थे, आज सौभाग्य से ही कहूंगा, दुर्भाग्य से नहीं, आप शासन पक्ष में बैठे हैं। तो अगर मेरी कमी थी तो मैं चाहता हूं कि आप काम करें। श्रीमन्, क्या यह सही नहीं है कि बार-बार यह मांग की गयी कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उतना ही दिया जाये जितना केन्द्रीय सरकार का है? स्वायत्त शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उतना ही होना चाहिए जितना कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का और अध्यापकों का महंगाई भत्ता उतना ही होना चाहिए जितना कि केन्द्रीय सरकार का है। सातवें वित्त आयोग जिसका उल्लेख 24वें पृष्ठ पर किया गया है, यह किसका प्रयास है, जिसके कारण माननीय वित्त मन्त्री को अधिक रुपया लेने में मदद मिली है। अगर हम उनको महंगाई भत्ता न देते तो आप नाराज होते कि महंगाई भत्ता नहीं दिया गया।

श्रीमन्, कभी-कभी हम टैक्नीकल मामलों को ध्यान में न रखकर राजनीतिक बयान दे देते हैं। हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि हमने फाइनेन्स कमीशन के सामने अपनी बात को ठीक से नहीं रखा। जब मैं माननीय मुख्य मन्त्री को बधाई देने गया पहली बार तो उन्होंने मुझ से पूछा कि क्या आपके कोई सुझाव हैं तो मैंने कहा सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन की तैयारी ठीक से कीजिए, यही मेरा सुझाव है। फाइनेन्स कमीशन का जो महत्व है, उससे कोई भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, अपने को वंचित नहीं रख सकती है। फाइनेन्स कमीशन यह देखता है कि प्रति किलोमीटर सड़क की मेन्टीनेन्स पर कितना खर्च हुआ, प्रति किलोमीटर नहर के रख-रखाव पर कितना खर्च हुआ, अस्पतालों में प्रति व्यक्ति कितनी दवा दी गई है और कितना महंगाई भत्ते में खर्च हुआ है। यह आगे के 5 साल की कसौटी होती है। प्लान के लिए तो प्लानिंग कमीशन देता है और नान-प्लान के लिए खर्च जितना रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर किया जाता है, उसको फाइनेन्स कमीशन देता है? यह 5 साल में एक बार बैठता है। जितने भी हमने काम किए हैं, प्रदेश में, उनमें गलती हो सकती है लेकिन हमने जो सारा खर्चा किया है आप सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन से 1-1- रुपया मांग कर सकते हैं। अगर 2 ही महंगाई भत्ते की किस्तों को देते तो कहते कि आपने तो दिया ही नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आज भी समय है।

आप देखें कि प्रति किलोमीटर सड़क की मेन्टीनेन्स के लिए अगर कोई खर्चा है तो उसको जरूर मंजूर किया जाय। आप देखें कि सड़कों की हालत कैसी है, नहरों की सफाई और उनका रख-रखाव किस हालत में है? अगर मैं वित्त मन्त्री की जगह होता तो

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं यह देख चुका होता कि हम कौन-कौन सी व्यवस्था कर सकते हैं। हम छठे फाइनेन्स कमीशन के साथ कमिटेड हैं। मेरे पास छठे फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद है। जो ग्रान्ट्स हम ले रहे हैं उनमें से बहुत सी ग्रान्ट्स ऐसी हैं जो इस साल हमको खर्च करनी चाहिए नहीं तो कटौती हो जायगी। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर आरोप लगायें हमें यह देखना चाहिए कि कौन कार्य किसके हित में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लगान के बारे में यह मांग नहीं की गई कि लगान को पुरानी दर पर बहाल कर दिया जाय ? क्या यह सही नहीं है कि यह भी मांग की गई कि भूमि विकास कर की दर बहुत ज्यादा है इन्हें कम कर दिया जाय ? क्या यह मांग नहीं की गई कि कमांड एरिया टैक्स समाप्त कर दिया जाय ? क्या यह मांग नहीं की गई कि 15 रुपया प्रति हार्स पावर की दर बहुत ज्यादा है, इसको कम करके 12 रुपया या 10 रुपया प्रति हार्स पावर कर दिया जाय ? तो श्रीमन्, ये सारी मांगें जो मंजूर की गईं और दूसरी तरफ हमने जाते-जाते जो किया, अगर आपकी मांगों को पूरा किया तो उसमें शिकायत की क्या बात है ? आज यह कहा जाय कि अब इन सब संसाधनों को खो बैठे। उसके अलावा यह कहा जाय कि हम क्या टैक्स लगाते यह हम बताते ? हम साधन किस प्रकार जुटाते, हम शासन में होते तो बताते कि प्लान कैसे हो। तो यहां भी प्लान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। आप बतायें कि कैसे पूरा हो, लेकिन इस प्रकार से दोषारोपण करना उचित नहीं है।

अब मैं वित्त मन्त्री जी के घाटे के बजट का एक्सरे कर दूं। घाटा कहां है ? वित्त मन्त्री जी फरमाते हैं कि 82.80 करोड़ का घाटा हुआ। श्रीमन्, घाटा दिखाने के 4 तरीके होते हैं। एक तरीका पुराना है जिसे ट्रेडिशनल कहते हैं। उसमें केवल रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर को घटाकर, राजस्व व्यय की आमदनी से घटाकर घाटा लाया जाता है। तो फाइनेन्स कमीशन इस बात को देखता है। अगर मैं होता तो आमदनी को कम दिखाता। असली जो रेवेन्यू में घाटा है इसको आमदनी में न दिखाता। ऊंचे खर्चे बढ़ाकर रेवेन्यू में डाल कर दिखाता। अब श्रीमन्, आप देखें कि अगर इस घाटे को देखा जाय तो पहले राजस्व मद में 87.86 करोड़ रुपया था और अगर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को लिया जाय तो घाटा 82.80 करोड़ का नहीं बल्कि 25.27 करोड़ का है जो बजट भाषण में लिखा हुआ है। अब जो ज्यादा मान्य तरीका आजकल हमारे देश में है वह यह है कि रेवेन्यू और कैपिटल को जोड़ कर घाटा जोड़ा जाय। तो 25 करोड़ 27 लाख का घाटा होता है। तीसरा तरीका यू0 पी0 में जो हम मानते हैं वह यह है कि रेवेन्यू, केपिटल और पब्लिक एकाउन्ट्स, इन तीनों को जोड़ कर निकालते हैं। इसके हिसाब से बजट भाषण में खुद लिखा है कि इन तीनों को जोड़ कर 24 करोड़ 28 लाख रुपया होता है। तो घाटा कहां से आ गया। अब घाटा कैसे आया ? यह जो नया तरीका निकाला है कि पिछले साल के जो ओवर-ड्राफ्ट हैं उनको जोड़कर घाटा बता दिया गया। तो पिछले साल का 107 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष को घटाकर 82 करोड़ 80 लाख का घाटा दिखा दिया। यह ऋणात्मक अवशेष है जो एकाउन्ट में 2-3 साल से चला आ रहा है। मैं तो वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि 107 करोड़ का घाटा अगर मान भी लिया जाय तो यह तो समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि भारत सरकार ने पिछले वर्ष 127 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता उत्तर प्रदेश

के लिए स्वीकार की थी। चिट्ठी रखी होगी, फाइलों में वित्त मन्त्री जी देखें। अब उस 127 करोड़ रुपए तक हम खर्चे कर सकते थे। हमने 107 करोड़ रुपया ही खर्च किया। 20 करोड़ अभी पिछले साल के एकाउंट में बाकी है। रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच में यह फैसला नहीं हो सका कि 27 करोड़ रुपया किस ढंग से दिया जायगा? लोन के रूप में, दीर्घकालीन या अल्पकालीन या ग्रान्ट के रूप में या वेज एन्ड मीन्स एडवान्स के रूप में होगा? कौन सा तरीका होगा या कितने तरीके मिला कर दिया जायगा यह तय नहीं हुआ था। बीच में आप आ गए। बड़ी कृपा आपकी। अब जिम्मेदारी आपकी है। ओवर ड्राफ्ट का हमारा अधिकार थोड़े ही है। रिजर्व बैंक फौरन कह देगा कि पेमेन्ट बन्द। ओवर ड्राफ्ट देना रिजर्व बैंक का अधिकार है, हमारा नहीं। हम तो लेने वाले हैं। तो रिजर्व बैंक को मालूम था कि 127 करोड़ रुपया भारत सरकार ने प्लेज कर दिया है। इसलिए उसने इजाजत दी, नहीं तो बन्द हो जाता। तो मेरा सुझाव यह है कि वह केन्द्रीय फाइनेन्स मिनिस्टर से कहें कि पिछले शासन ने जो 127 करोड़ रुपए का वायदा किया था उसका शेष जो रह गया उसका पेमेन्ट हमें हो जाना चाहिए। आप कहिए जितना वास्तविक खर्चा है उतना दे दीजिए। अब उसका फायदा क्या होगा प्रदेश को? 107 करोड़ रुपया बजट में नए कामों के लिए मिल जायगा। जैसे आपने प्लान की जिम्मेदारी ले ली। मैं बधाई देता हूं वित्त मन्त्री जी को कि उन्होंने हमारे प्लान को जैसे का तैसा मन्जूर कर लिया। आपने उस पर बहुत विचार किया, मैं जनता हूं बहुत दिनों तक कैबिनेट बैठी रही। लेकिन आपने यह सही कदम उठाया, कि पहले की कोई योजना हो तो उसको खत्म नहीं किया जाता, इसलिए आपने उसको वैसे का वैसा मंजूर कर लिया, उसको प्राथमिकता दी, तो यह खुशी की बात है। 127 करोड़ का भारत सरकार का प्लेज था, अब 107 करोड़ रुपया इस सरकार को और मिल जायगा विकास के काम के लिए, यह मैं सुझाव दे रहा हूं। अब अगर भारत सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती तो फिर ऐसे वादे का मतलब नहीं रह जायगा। खैर, इतना जो खर्चा हुआ है विकास की योजनाओं में उसका रेकार्ड मौजूद है। मैं समझता हूं, इस ममाले पर मैं विरोधी दल की ओर से भारत सरकार के वित्त मन्त्री जी और प्रधान मन्त्री जी से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता ज्यादा बढ़ानी चाहिए। हमने पहले भी चेष्टा की है और उसमें हमें सफलता भी मिली है। जब 1970-71 में 11-12 करोड़, मार्केट बढ़ाने के लिए रुपया मिलता था, आज 40 करोड़ वह रकम हो गयी है। आज हमारी योजनाओं के लिए जो सेन्ट्रल शेयर है वह बढ़ करके 24.6 फीसदी से 48.9 तक आ गया है। यह भी कम है। इसलिए हम प्लानिंग कमीशन से अगले वर्ष की योजना के लिये और इस वर्ष की योजना के लिए पुराने वायदों को देखते हुए मांगना पड़ेगा, तभी हमारे प्रदेश का हित होगा। तो जो घाटे का सवाल है, यह घाटा नहीं है यह सरप्लस बजट है और यह सरप्लस और सरप्लस हो सकता है अगर जो वादा केन्द्रीय सरकार ने किया था उस वादे की हम पूरा करा लें।

अब श्रीमन्, कुछ सुविधायें यहां घोषित की गयी हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। यहां कहा गया है कि 3 1/8 एकड़ तक मालगुजारी को हम माफ करते हैं, यह ऐलान किया गया है। ठीक है, लेकिन जनता पार्टी का जो मेनिफेस्टो है क्या यह उसके अनुसार है या नहीं है? मेरे पास जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसमें लिखा है कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ किया जायगा, ढाई हेक्टेयर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वादा तो पूरा नहीं हुआ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

5 साल के लिए है यह मान्यवर।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो जवाब में वित्त मंत्री जी कह देंगे कि 5 साल का है..... (व्यवधान) श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कई सरकार सवा छः एकड़ तक माफी दे चुकी है। बिहार सरकार दे चुकी है। वह 5 साल का इन्तजार नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस बहस में नहीं पड़ता। बहुत से लोग कहते हैं कि लगान जो है वह किसानों पर टैक्स लगाने का सबसे आसान माप-दन्ड है, किसान को ज्यादा हिसाब में नहीं डालना चाहिए। प्लानिंग कमीशन में हमने बहस सुनी है और अब भी सुनेंगे कि अगर हम कई मदों पर टैक्स लगा दें, गन्ने पर प्रति एक कर लगा दें या तम्बाकू पर या आलू पर लगा दें तो किसान को हिसाब-किताब लगाना होगा। तो मैं उन लोगों में हूं जो किसान को हिसाब-किताब में नहीं डालना चाहते, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। यदि कृषि पर कर लगाना है तो सबसे आसान काम यह है कि लगान को हम लें, मैं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मन्त्री चौ० चरण सिंह से सहमत हूं कि किसान को हिसाब किताब में न डाला जाय। जो कुछ लिया जाय लगान के नाम से लिया जाय। जैसे कि विकास कर लगाने से जुड़ा हुआ है, तो एक ही टैक्स लगाया जाय। किसान तो एक लगान को ही परम्परा से हमेशा से जानता है। तो सरकार जब अपनी नीति घोषित करेगी, वह इसको नजर में रखेगी। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि लगान, कृषि टैक्स किस प्रकार लगाया जाय। यह तो आपकी नीति होगी, वह क्या होगी, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, लेकिन जो आपने वायदा किया, उसकी मैं बात कह रहा हूं। आपने कहा था कि सवा 6 एकड़ तक लगान माफ करेंगे, लेकिन आपने 3 1/8 एकड़ माफ किया। कई बार ऐसी स्थिति आती है। इसलिए जब हम बाहर भाषण देते हैं, मैनिफैस्टो बनाते हैं उस समय सोचना चाहिए कि कल हम सत्ता में आ सकते हैं। इसमें सबका दोष है कि आज कल हम मैनिफेस्टो बनाते समय ध्यान नहीं देते। सबसे कम समय हम मैनिफेस्टो लिखने में देते हैं। तजुर्बा क्या कहता है कि जल्दी-जल्दी मैनिफेस्टो लिखा जाता है, क्योंकि यहां पर जो बात है, मैनिफेस्टो लिखने में हम पूरा समय नहीं देते हैं।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह कहा कि 3 1/8 एकड़ तक का लगान माफ किया जायगा और इसमें 16 करोड़ का घाटा शासन को होगा। ठीक है साहब 16 करोड़ का घाटा होगा। तो मैंने यह देखा कि आय-व्ययक स्मृति-पत्र जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, बजट पढ़ने वाले इस किताब पर चला करते हैं। श्रीमन्, इसमें जब मैंने देखा तो इसकी प्राप्तियों के विवरण में पिछले साल के मुकाबिले में 6 करोड़ रुपया ज्यादा इस मद में जुड़ा हुआ है यानी लगान की मद में सन् 1976-77 में 33 करोड़ 80 लाख रुपया जो रिवाइज्ड इस्टीमेंट्स है, इससे बढ़ कर इस साल के बजट में 40 करोड़ 30 लाख रुपए की आमदनी माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया है। यह तो घटना चाहिए था, यहां बढ़ गया। अब इसमें राज है। वह राज वित्त मन्त्री जी के भाषण में साफ हो जाता है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा, वे माननीय वित्त मन्त्री जी का भाषण देखें, पृष्ठ 7 में पहला पैराग्राफ। मुझे यह घोषित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव घोषणा-पत्र में प्रतिपादित नीति के अनुसार प्रदेश की 3 1/8 एकड़ तक की सभी जोतों को मालगुजारी से मुक्त किया

जाय। इस आकार की जोतों पर भूमि विकास कर पहले से ही नहीं लगता है। इससे बड़ी जोतों की मालगुजारी की दर ऐसी रखी जायेंगी ताकि जो असमानतायें और विषमतायें रही हैं, वह दूर हो जायं। 3 1/8 एकड़ तक की जोतों को मालगुजारी से मुक्त करने से लगभग 70 प्रतिशत खातेदार लाभान्वित होंगे। मालगुजारी से होने वाली आय में लगभग 16 करोड़ रुपए वार्षिक की कमी हो जायगी। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बताना चाहता था कि 3 1/8 एकड़ का लगान अगर वह माफ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या बढ़ा रहे हैं और वे असमानतायें और विषमतायें क्या हैं और उसे किस प्रकार से दूर कर रहे हैं। राजस्व प्राप्ति के बारे में 5 करोड़ राजस्व बढ़ कैसे गया ? इसका राज क्या है इसको साफ कर दें ? श्रीमन्, यह तो मैनिफेस्टो की बात है।

अब श्रीमन्, मैंने यह देखा इस बजट में रेवेन्यू स्टीमेट बहुत गलत लगाए गए हैं। जो वित्त मन्त्री ने आंकड़े दिए हैं। जिसके आधार पर बजट बनाया है उसमें आमदनी कम दिखाई है। अब इन्कम टैक्स को ले लीजिए। भारत सरकार का जो इन्कम टैक्स है उससे आमदनी 111 करोड़ 79 लाख रुपए थी ? इस साल कितनी दिखाई गयी है ? पहले 111 करोड़ रुपए सन् 1975-76 में थी, इस साल 104 करोड़ रुपए यानी 7 करोड़ रुपए कम दिखाई है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि फाइनेन्स कमीशन के मुताबिक इन्कम टैक्स से हर साल आमदनी बढ़नी चाहिए। तो इन्कम टैक्स की आमदनी 7 करोड़ रुपए कम दिखाई गई है। इसी तरह से बिक्री-कर की आमदनी पिछले साल 217 करोड़ 76 लाख रुपए थी। इसमें महज 7 करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई है, 224 करोड़ 54 लाख रुपए दिखाई गई है। श्रीमन्, कितना ही आप टर्न ओवर माफ कर दें, मैं तो कहूंगा मुख्य मन्त्री जी से और वित्त मन्त्री से कि आप टर्न ओवर 25 हजार, 50 हजार कर दीजिए। इसका लाभ क्या होगा कि व्यापारियों से ज्यादा टैक्स वसूल होगा। तो आप देखिएगा कि 224 करोड़ रुपए की जगह 245,250 करोड़ रुपए तक वह जायगा। यानी 25 करोड़ रुपए की आमदनी कम दिखाई है।

इसी तरह से ट्रान्सपोर्ट विभाग को ले लीजिए। वाहनों पर जो कर है उससे पिछले वर्ष 19 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। यह घट कर हो गयी है 17 करोड़ 48 लाख। यानी डेढ़ करोड़ रुपए का घाटा है। जबकि पैसेन्जर टैक्स, वेहिकिल टैक्स उतना ही है। तो इस तरह से इसमें डेढ़ करोड़ रुपए की आमदनी कम दिखाई गई है। इसी तरह से वन विभाग है। 37 करोड़ रुपए की आमदनी, 1975-76 में हुई है। वह इस साल घटकर 33 करोड़ 15 लाख रुपए दिखाई गई है। तो श्रीमन्, इसी तरह से कई उदाहरण मौजूद हैं, जिसमें आमदनी को कम करके दिखाया गया है। मैं नहीं समझता कि वित्त मन्त्री कैसे प्रशासन को चुस्त करेंगे और बकाया वसूल करेंगे। मैं नहीं समझता हू कि प्रशासन को चुस्त करने से रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घट जाय। इस तरह के बजट के एस्टीमेट वित्त मन्त्री करें यह आश्चर्य की बात है। एक आध विभागों की बात मानी जा सकती है, कोई बात होने के कारण कमी हो सकती है। श्रीमन्, इस बजट भाषण में कहा गया है कि हम मद्य-निषेध शराब बन्दी करेंगे। मैं मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से बड़ी प्रसन्नता होगी, अगर हम मद्य-निषेध को करा सकें। लेकिन अब 63 करोड़ रुपए की आमदनी इससे होती है। कोई भी सरकार हो जाय। कुछ ही आमदनी के जरिए होते हैं। एक तो सेल्स टैक्स, आबकारी, लैन्ड रेवेन्यू या मोटर वेहिकिल्स आदि आमदनी की मुख्य मदें हैं। चाहे कोई भी सरकार बैठे,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार बैठे उसके लिए सीमित मदें हैं। कुछ ही मदों में आप 2-4 करो रुपया बढ़ा सकते हैं। अब सेल्स टैक्स खत्म हो जायगा। एक्साइज ड्यूटी सेन्टर के पास चली जायगी। आबकारी की आमदनी है 63 करोड़ रुपए की। 63 करोड़ का मतलब यह है कि योजना काल में सवा तीन करोड़ का घाटा। वह कहां से आएगा? इसलिए हमें यह देखना होगा कि यह ठीक है कि नहीं। हमारे बुजुर्ग नेता प्रधान मन्त्री जी एक पुराने गांधीवादी होने के कारण कटिबद्ध हैं। लेकिन दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में देखें वहां एक बार प्रोहीबीशन हुआ लेकिन कई सालों बाद उनको प्रोहीबीशन को समाप्त करना पड़ा। स्वीडन में 6 महीने मुझे अध्ययन करने का मौका मिला है। पहले वहां भी प्रोहीबीशन को रेफ्रेन्डम द्वारा पास करना पड़ा, लेकिन बाद में मिकदार लगा दिया कि हर शराब की दुकान के सामने पुलिस खड़ी होगी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि लोग टिन्चर-जिन्जर पीने लगे। उसी तरह से हमारे वहां भी टिन्चर-जिन्जर और अन्य अलकोहल, जो दवा के नाम पर बिकते हैं, लोग लेते हैं और सबसे बड़ी बात घर-घर में कच्ची शराब मिलती है। उसको कैसे रोका जा सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि, जो शासन ने नीति मंजूर की है वह खुशी की बात है, लेकिन, इसको सावधानी से देखना होगा कि इस बात को कर सकते हैं कि नहीं, क्या करना चाहिए, क्या शराब बन्दी कर सकते हैं और कहां तक शराब पीने वालों को नियन्त्रित कर सकते हैं? आपने नीति मान लिया लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा कि शासन की जिम्मेदारी आयी है इस शराब बन्दी के मामलें में तो उस पर गहराई से विचार होना चाहिए। यह सारे समाज का सवाल है। इसलिए मुझे विश्वास है कि सरकार इस निर्णय को लेने के पहले इस बात को ध्यान में रखेगी। यदि हमारा वह सहयोग चाहेंगे तो इस सम्बन्ध में हम अपनी राय देने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमन्, वित्त मन्त्री जी ने 4 घोषणायें की हैं। बड़ी खुशी मुझे हुई। उन घोषणाओं में तारीफ यह है कि घोषणायें की गयी हैं लेकिन बजट की नई मदें जो मालूम है उसमें रुपया नहीं मांगा है और ऐलान कर दिया है। इसमें घोषणायें की है कि 2 करोड़ रुपया हरिजन निर्बल समुदाय के लिए पक्के कुयें बनाने के लिए प्राविधान किया गया है। अब श्रीमन्, नई मद में योजना गत और अयोजनागत मदों को देख लिया है और 2-4 लोगों से दिखवा भी लिया है लेकिन मुझे नही मिला कि कहीं रुपया मांगा है। इसी तरह 2 करोड़ रुपया पेयजल योजना के लिए ऐलान कर दिया, लेकिन रुपया मांगा नहीं है। नई मदों में नहीं है। अब यह कहेंगे कि पुराने बजट से काट कर करेंगे। लेकिन नई मद का तरीका यह है कि उसको सदन के सामने अलग से एस्टीमेट मांगना चाहिए, जैसे और जगह लाए हैं। अब पेयजल योजना के लिए 2 करोड़ का जिक्र किया है। यह दो करोड़ क्यों? केन्द्रीय वित्त मन्त्री का भाषण भी पढ़ना चाहिए था। बड़ी जिम्मेदारी का यह पद है। केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में यह कहा कि हमने केन्द्रीय बजट में 40 करोड़ रुपया अतिरिक्त पेयजल योजना के लिए रखा है। 40 करोड़ वन सिक्स्थ यू0पी0 के लिए आबादी के हिसाब से लगायें तो 7 करोड़ मिलना चाहिए। केन्द्रीय मन्त्री का बजट आज से दो महीने पहले पेश हो चुका। इनका कम से कम 7 करोड़ रुपया पेयजल योजना में रखना चाहिए था। आपने बजट में रखा नहीं। केन्द्रीय वित्त मन्त्री कह सकते हैं हालांकि

कहेंगे नहीं कि आपने दो करोड़ ही रखा है। सात करोड़ तो रखा नहीं। इसलिए आपने 5 करोड़ खो दिया। केन्द्रीय वित्त मन्त्री के भाषण को ध्यान में रखते हुए कम से कम 7 करोड़ रखना चाहिए था। आपने सड़कों में 5 करोड़ रखा है। उसमें ठीक किया। 20 करोड़ केन्द्रीय बजट में है। 5 करोड़ आपने रखा है। उसके लिए आपने नई मदों में मांग की है? सड़कों में तो आपको याद रहा लेकिन पेयजल में भूल गए। जिसको आप इतना बड़ा महत्व देते हैं। हरिजन और आदिवासी का नाम ही नहीं है जबकि पहले इसकी चर्चा रहती थी, पूरा एक अध्याय रहता था। इस पर मैं बाद में आऊंगा। दूसरा आइटम यह है कि 6 हजार लिटरेसी सेन्टर खोलेंगे यानी साक्षरता केन्द्र खोलेंगे। 45 लाख रुपया अतिरिक्त खर्चा होगा बजट में प्राविधान नहीं है। बजट भाषण में लिखा हुआ है।

श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह 12 साल से....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं क्षमा चाहता हूं मेरी किसी बात से माननीय सदस्य को यदि ठेस लगी हो। लेकिन यह बात सही है। यह तो बजट के आंकड़ों की बात है। साक्षरता केन्द्रों के लिए 45 लाख रुपया रखा है लेकिन नई मदों में जहां इसकी जगह होनी चाहिए थी वह नहीं है। छ हजार साक्षरता केन्द्र खोलने की बात आपने कही है लेकिन उसके लिए बजट में मांग नहीं रखी है। नई मदों के लिए बजट में पैसा मांगा जाता है। इसी प्रकार से तीसरी मद है जिसमें पेन्शनर भाइयों के लिए यह कहा गया है कि 15 लाख रुपया पेन्शनरों के लिए चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराया जायगा। बड़ी अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसका बजट भाषण में तो जिक्र है, चिकित्सा बजट में नहीं है। बजट में रुपया मांगा नहीं और ऐलान हो गया।

इसी तरह से उद्योग विभाग के बारे में कहा गया है। लघु ग्रामीण विकास के लिए पचास लाख रुपया रखा गया है जो इन्डस्ट्रियल टेक्नीकल परिषद् के अन्तर्गत आता है। इसका भी नयी मद में उल्लेख नहीं किया गया है। तो चार महत्वपूर्ण ऐलान जो किए गए हैं, जो छप गए हैं उनके लिए बजट में पैसा नहीं मांगा गया। तो इसे लागू कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि मार्च में जो सप्लीमेन्टरी बजट आएगा उसमें ले लेंगे तो फिर इसको पांच महीने पहले ऐलान करने की क्या जरूरत है?

दो ऐलान इसमें किए गए हैं जिसके लिए रुपया मांगा गया है। ठीक काम किया गया है। एक तो यह है कि फर्टीलाइजर खरीदने के लिए पांच करोड़ की सब्सिडी और लघु सिंचाई निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए की मांग बजट में की गयी और नयी मदों में रुपया मांगा गया। यह ठीक काम किया है। लेकिन इस में गलती क्या हुई है। खास कर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से, मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वे स्वयं देखें। कृषि मन्त्री

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

देखें जिन को सब से अधिक लाभ होता है इससे । यह रुपया बजट में नहीं लिया जा रहा है। यह सात करोड़ रुपया जो फर्टिलाइजर और लघु सिंचाई के लिए लिया जा रहा है बजट पर चार्ज नहीं है। यहां कहां से लिया जा रहा है? किसान सहायता निधि से। पब्लिक फन्ड से ट्रांसफर किया जा रहा है। यह किसान सहायता निधि पिछले साल बनाई गयी थी। इस में 19 करोड़ रुपया है और जो बोनस से आमदनी होती थी उसे इस निधि में डाला जाता था? विचार यह था कि एक फन्ड बोनस से बनाया जाय जिससे छोटे किसानों को मदद मिल सके। अब किसान सहायता निधि से बजट केवल आप देते तो मुझे एतराज नहीं होता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? किसान सहायता निधि को ही समाप्त कर रहे हैं। 19 करोड़ में से सात करोड़ तो आप ने दे दिया और अगले दो साल में वह खत्म हो जायगा और फिर रुपया कहां से आएगा? तो मैं यह आग्रह करूंगा मुख्य मन्त्री से और केबिनेट में जितने लोग बैठे हैं मन्त्रि-मन्डल के कि वे फिर देखें और मेहरबानी कर के किसान सहायता निधि को वैसा ही रहने दिया जाय बल्कि उस में और रुपया डाला जाय। आप ने डेढ़ करोड़ रुपया डाला है बोनस से इस साल। इस को खत्म नहीं किया जाना चाहिए।

अब श्रीमन्, एक योजना की घोषणा की गयी है जो एक अच्छी योजना लगती है। पन्द्रह करोड़ रुपए रखे गए हैं इस योजना के लिए और वह है नीचे स्तर से नियोजन। यह जिला स्तर से बनेगी। हमारे माननीय राज्य नियोजन मन्त्री जी ने हर विधायक के पास पत्र भेजा है कि नीचे की योजना बना कर भेजिए। मैं उनकी कठिनाई जानता हूं कि इस चीज में कितनी मुसीबत भुगतनी पड़ती है। किस योजना को माने, किस को नहीं माने। खैर आप ने मुसीबत अपने सर पर ली है आप जानिए। तो इस पन्द्रह करोड़ रुपए की योजना को मैंने अच्छा समझा लेकिन जब नई मदों को देखा तो उस में कुछ शर्तें लगी हैं। श्रीमन्, आयोजनागत खंड 3 पेज 126(प) पर यह है। इस में दस शर्तें लगी हैं और ये शर्तें ऐसी हैं जिन से योजना कभी नहीं बनायी जा सकती है। यानी 15 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर सकते अगर जो शर्तें वित्त मन्त्री ने रखी हैं पूरी न की जायं। उनमें से एक शर्त तो यह है कि 10 लाख से ज्यादा की योजना न हो, लेकिन बजट भाषण में 10 लाख का जिक्र नहीं है। इसके अतिरिक्त जो शर्तें रखी गयी हैं, कार्यान्वियन के सम्बन्ध में वे इतनी सख्त हैं अगर उनको ढीला नहीं किया गया तो असम्भव हो जायगा योजना को पूरा करना। जिला योजना की बात सोची गयी, लेकिन रीजनल प्लानिंग का क्या होगा? इस बजट में पिछड़े क्षेत्रों का जिक्र ही नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो रहा है, उसके लिए आपकी क्या रूपरेखा है? बुन्देलखंड के लिए, मध्य उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो रहा है? पिछले साल का बजट आप देखें। एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात तथा जो बीच का क्षेत्र रह गया था फतेहगढ़ उसके लिए योजनाओं की शुरुआत की थी। जिला नियोजन से उनको क्या लाभ होगा। बजट भाषण में क्षेत्रीय नियोजन का कोई जिक्र नहीं किया गया है जब कि उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश को एक रखना है तो यह एक ऐतिहासिक तथा राजनीतिक आवश्यकता है कि क्षेत्रीय विकास की ओर ध्यान दिया जाय। हम यह नहीं कर सकते कि इन क्षेत्रों को पिछड़ा रखा जाय और राजनीतिक एकता भी बनाए रखें। बुन्देलखंड की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश शासन से बातचीत चल रही थी राजघाट योजना के बारे में। सागर योजना का क्या होगा जो बुन्देलखंड

के लिए बहुत आवश्यक है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो योजनायें शुरू की गयी थीं उनके लिए आज रुपया कम कर दिया गया है। आप देखें शारदा सहायक योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान है। 40 लाख एकड़ भूमि में पानी पहुंचाने के लिए उसमें तेजी से काम हो रहा था, लेकिन आज उसका काम ढीला हो गया है। पिछले साल 1975-76 में 46 करोड़ 16 लाख तथा 1976-77 में 47 करोड़ 75 लाख रुपया रखा गया था लेकिन 1976-77 में 11 करोड़ रुपया घटा कर केवल 36,36,00,000 रुपए में स्कीम का प्राविधान किया गया है। 11 करोड़ रुपया जो कम कर दिया गया यह कोई अच्छी बात नहीं की गयी जब कि पूर्वी जिलों के लिए सबसे अधिक उत्पादन बढ़ाने वाली यह प्रायोजना थीं। यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। 20 सूत्री कार्य क्रम में जिन चीजों का नाम कांग्रेस से अथवा इन्दिरा गांधी से जुड़ा हुआ आप मानते हैं तो उनको नहीं किया जायगा? क्या गूलें नहीं बनाई जाएंगी? गूलें बनाने की योजना अगर नहीं होगी तो खेत में पानी कैसे पहुंचेगा। राम गंगा प्रोजेक्ट, शारदा सहायक प्रोजेक्ट तथा गन्डक प्रोजेक्ट में गूलें बनाने के लिए प्राविधान किया गया था, लेकिन आपने करोड़ों रुपए का एलाटमेंट उनके लिए कम कर दिया। तो कैसे खेतों तक पानी पहुंचेगा यह सोचने की बात है। टिहरी जैसी विशाल सिंचाई योजना के लिए ढाई करोड़ और लकवार ब्यासी के लिए डेढ़ करोड़ रुपए का ही प्राविधान किया गया है। टिहरी योजना से उत्तर प्रदेश के लिए 1200 मेगावाट बिजली मिलने की सम्भावना थी और उसके लिए 3 करोड़ रुपये पिछले साल रखे गए थे लेकिन इस साल आपने घटा कर ढाई करोड़ कर दिया। पिछले साल राजघाट के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपया रखा गया था लेकिन इस वर्ष घटा कर 44 लाख कर दिया गया। केन नहर बांदा के लिए बहुत अहम है। मध्य प्रदेश को राजी किया गया। उनके लिए केन नहर जिन्दगी और मौत का सवाल था लेकिन उस के लिए 7 लाख 72 हजार रुपया ही रखा गया है। आप नए आए हैं। आप क्षेत्रीय आवश्यकताओं को मद्दे नजर रखते हुए क्षेत्रीय विधायकों को बुलाइए फिर निर्णय लीजिए किस प्राथमिकता के आधार पर खर्च होना चाहिए और उन योजनाओं को फिर आप प्राथमिकता दें और उनके लिए तब रुपए का आबंटन किया जाय। रुपया कम आबंटित करने से काम नहीं हो सकेगा। ओखला बांध आगरा डिवीजन की जिन्दगी है। ओखला बैरेज के लिए हमने प्राविधान किया था। उसके लिए 1 करोड़ 23 लाख का प्राविधान किया था उसे आपने घटा कर 67 लाख कर दिया। ऐसी स्थिति में उत्पादन कैसे बढ़ेगा? ताजेवाले के लिए 76 लाख रुपए रखे गए थे, पिछले साल यह रुपया आवंटित किया गया था लेकिन खर्च नहीं किया गया उसके लिए तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। पिछले साल ताजेवाले पर काम नहीं हो सका इसका हमें दुख है, यह हमारी गलती थी कि हम चूक गए। उसको आपको रखना चाहिए। डलमऊ पम्प कैनाल, राय बरेली के लिए 40 लाख रुपए से घटा कर 13 लाख रुपए कर दिया गया। इसी तरह से देवकली पम्प कैनाल जो पूर्वी जिलों के लिए थी उसमें 2 करोड़ 90 लाख का प्राविधान था जिसको घटाकर 2 करोड़ 68 लाख कर दिया गया। ज्ञानपुर पम्प कैनाल में काम बन्द हो गया। वहां पर वाटर लेविल नीचे चला गया, लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता। इसलिए उसकी वहां व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी तरह आज पर्वतीय जिलों का सवाल है। पहाड़ी जिलों के लिए प्लानिंग कमीशन नें 27 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किया है जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

में कहा है। आज प्लानिंग कमीशन ने और भारत सरकार ने इस सिद्धान्त को मान लिया है कि जितनी हिमांचल प्रदेश की योजना होगी प्रति व्यक्ति उतना ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए होगी। एक अलगाव की भावना को रोकने के लिये यह किया गया है। हिमांचल प्रदेश एक राज्य बन गया है वहां की आबादी यहां के पहाड़ी क्षेत्र से कम है यहां 40, 42 लाख की आबादी है और वहां 38, 39 लाख । तो वहां ज्यादा धन मिले और यहां कम मिले यह उचित नहीं था। इसलिए बहुत बहस मुबाहसे के बाद जिसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल थे यह निश्चित किया गया कि हिमांचल प्रदेश के बराबर यहां के पहाड़ी इलाकों का प्लान होगा। बड़े दुख की बात है कि यह प्लान घटाया जा रहा है। हमने 56 करोड़ रखा था उसे घटाकर 47 करोड़ किया जा रहा है इस पर पुन: विचार होना चाहिए। इससे जो आज पर्वतीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना हो रही है उसे बन्द करना उसका मुकाबला करना कठिन हो जाएगा, जिसका कि हम मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग कमीशन ने जो बात मान ली है उससे मुकरते हैं, तो हमारे लिए यह उचित नहीं होगा और न्याय भी नहीं होगा।

इसी तरह से बुन्देलखंड के विकास के लिए भी मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ हमारे मुख्य मन्त्री जी को बात करनी चाहिए ताकि बुन्देलखंड में उर्मिल बांध, मौदहा बांध, राजघाट योजना और कनहर योजना चल सके। मध्य प्रदेश का सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। हमारे मिर्जापुर का क्षेत्र जो है, बुन्देलखण्ड का जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए मध्य प्रदेश का सहयोग जरूरी है। मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार है। हमने इस बात की कोशिश की है, हममें कमियां थी आप जानते हैं तो उन कमियों को दूर करें। प्रदेश का विकास होना चाहिए।

अब श्रीमन्, यह कहा गया कि छठी योजना की शुरूआत कर दी गई है। पांचवीं योजना के अभी दो साल बाकी हैं। इस साल हमने 675 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है आपने अच्छा किया अगले साल की तैयारी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। प्लानिंग कमीशन में चन्द लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी उत्तर प्रदेश के लिए हमदर्दी नहीं है। इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि अगले साल की योजना सवा आठ करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके कारण हैं। हमने भारत सरकार को राजी कर लिया है कि पहाड़ी क्षेत्र की योजनाओं को मिलाकर 28 सौ करोड़ रुपए की योजनायें यू0 पी0 की होगी। हमने इसके लिए उनको राजी कर लिया है। तीन सालों में अभी हमने कुल 13, 14 सौ करोड़ खर्च किया है। इस साल कम खर्च होने वाला है। इस साल तो मैं आपके द्वारा कहूंगा कि 7 महीने का बोट आन एकाउन्ट ही लिया है। एक महीना इसमें कम कर सकते थे 6 महीने का कर सकते थे। अब साल भर का 5 महीने में काम करना है। मैं शासन को सुझाव दूंगा जैसे भी हो चाहे कंटिनजेन्सी से रुपया लेना पड़े काम होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। अभी तक प्रत्येक विभाग की मीटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी कि हमारे विभाग का खर्च क्या है उनको बताना चाहिए था और उसकी फाइनेन्स से फौरन स्वीकृति होनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए आपके फन्ड में मौजूद हैं और आपकी योजनायें 70 करोड़ से ज्यादा की नहीं हैं। वित्तीय नियमों को जहां जरूरत हो, जहां विकास के काम के लिए जरूरत हो ढीला किया जाना चाहिए। वित्तीय

नियम जनता के कल्याण के लिए है जनता वित्तीय नियमों के लिए नहीं। मैं इस बात को मान कर चलता हूं। जहां पर विकास की बात हो वहां पर नियमों को ढीला भी करना पड़े, तो किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश आगे बढ़े इसलिए इस बात को देखते हुए कि समय बहुत कम है खर्च करने के लिए, हमें योजनाओं में खासकर उत्पादक योजनाएं जो हैं—खेती, बिजली आदि की, उनके लिए हमारा आग्रह होगा उन पर तत्काल कार्यवाही की जाए। नहीं तो प्लानिंग कमीशन कहेगा कि आप तो खर्च ही नहीं कर पाए। आपका ऐक्चुवल खर्च कितना है, ऐक्चुवल खर्च निकलेगा नहीं। प्लानिंग कमीशन कहेगा कि उस हिसाब से घटा लो और प्लान आपका कम हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम इस साल के व्यय पर अभी से ख्याल रखें, खासकर जो पैदावार बढ़ाने वाली योजनाएं हैं। यह अत्यन्त आवश्यक हैं। छठी योजना के बारे में मैं यह समझता हूं कि पांचवी योजना जब राज्य सेक्टर में ही 28 सौ करोड़ की है—प्राइवेट योजना अलग है, उसको भी अगर जोड़ लिया जाए तो हमारी पांचवीं योजना साढ़े चार हजार करोड़ तक पहुंच जाएगी,— हमारी छठी योजना 5 हजार करोड़ की केवल राज्य सेक्टर में होनी चाहिए।

उद्योगों के बारे में मुझे बड़ा दुःख है कि जो योजना बनाई है, जो नीति अपनाई है इस भाषण में वह व्यावहारिक नहीं है। एक तरफ तो शिकायत की हमारे वित्त मन्त्री जी ने। पहले पेज में ही बताया है कि प्रति व्यक्ति की यहां आमदनी कम हो गयी है, यह बताया है कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कम हो गयी है और यह भी बताया है कि प्रति व्यक्ति पैदावार में कमी आयी है। यह हमारी तमाम आलोचना है। ठीक है,हम दन्ड के भागी हैं। दन्ड आपने हमको दे दिया और हम इधर आ गए। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि दूसरे प्रदेशों में बिजली की खपत इसलिए अधिक है कि वहां पर उद्योग ज्यादा हैं? पंजाब, तामिलनाडु व हरियाणा आदि में बिजली की खपत क्या इसलिए ज्यादा नहीं है कि वहां पर बड़े-बड़े उद्योग कायम हैं। उत्तर प्रदेश उद्योगों के मामले में पिछड़ा रहा है, क्योंकि हमारे पास साधनों और कच्चे माल की कमी रही है। तो अब नीति क्या है? भारी उद्योग के नाम से हम घबड़ाते हैं, छोटे उद्योग लगाने वाले नहीं हैं। मैंने आजमगढ़ के बारे में, जहां से मुख्य मन्त्री जी आते हैं कलकत्ता जाकर कोशिश की थी कि वहां के लोग आएं और आजमगढ़ में उद्योग लगाएं। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। वहां के लिए 10 परसेंट सब्सिडी भी मिलती है, किन्तु वहां पर के लिए इन्टरप्रन्योर नहीं हैं। सबको आदत हो गई है, बड़े-बड़े शहरों में रहने की। देहाती इलाकों में उद्योग लगाना वे पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए पिछली सरकारों ने, हम तो बहुत कम दिन रहे हैं और हमारी हैसियत ही क्या है दूसरे अन्य लोगों के सामने, यहां पर गोविन्द बल्लभ पन्त, सम्पूर्णानन्द जी जैसे लोग रहे हैं और चन्द्रभानु जी गुप्त रहे हैं, जो सौभाग्य से शासक दल के नेता हैं, उन्होंने उद्योगों के लिए बड़ी कोशिश की है। चौधरी चरण सिंह जी, चकबन्दी और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट उनकी देन है, जो आप कहते हैं कि 30 साल कुछ हुआ ही नहीं है। आज तो वह कहते हैं कि जैसा जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट यहां बना है, वैसा कहीं नहीं है, केरल तक में नहीं है। तो यह जो आपने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, गरीब और गरीब हो गया है, ठीक नहीं है। आप यह भी बता दें कि आबादी कितनी बढ़ गई। आबादी दुगुनी बढ़ गयी। और जन-संख्या दुगनी होने से प्रति व्यक्ति आमदनी घटेगी ही। जितनी पैदावार बढ़ी उतनी ज्यादा आबादी बढ़ गयी, प्रति व्यक्ति आमदनी अपने आप कम हो जाएगी। जनता पार्टी की सरकार क्या करे, पैदावार नही बढ़ी।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

फेमिली प्लानिंग के बारे में कहा गया, फेमिली प्लानिंग के बजाय फेमिली कल्याण उसका नाम रख दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या है जो आपकी नीति है वह साफ होनी चाहिए। क्या आप नसबन्दी को बन्द कर रहे हैं, क्या आप उसे वालन्टरी कर रहे हैं। आपके समय में 75 केसेज हुए हैं, यह हमने अखबारों में पढ़ा है। अगर आप नया तरीका निकाल रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन उसका बजट डेढ़ गुना बढ़ा दिया है। आपने साढ़े चार करोड़ रुपया ज्यादा रखा है और रिजल्ट क्या होगा। पिछले साल 10 करोड़ रुपया रखा था और इस साल साढ़े चौदह करोड़ रखा है? यह परिवार कल्याण के लिए रखा गया है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग को राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। प्रदेश के चिन्तक यहां पर बैठे हुए हैं। हम सबको सोचना पड़ेगा जिनको देश की समस्या हल करना है। 30 साल का शासन करने का दावा कर रखा है। आज यहां पर इन सब बातों पर हमें विचार करना है।

आज यह कहा गया कि मुद्रा स्फीति हो गयी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कह दिया। पृष्ठ 3 पर जो बजट भाषण है उसमें कहा गया कि पिछली सरकार द्वारा चलायी गयी नीतियों के कारण प्रदेश में मुद्रा स्फीति का जोर रहा है। राज्य की आय, प्रति व्यक्ति आय तथा रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना तथा मुद्रा स्फीति रोकना वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य रहेगा। यह लिखा है। यानी हमने जो नीति चलाई है उसके कारण इनफ्लेशन का जोर हो गया है। अब मैं क्या कहूं। मैं नहीं समझता कि वित्त मन्त्री ऐसी बातें लिख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि वित्त सचिव, फाइनेन्स डिपार्टमेंट के लोग, बी0 बी0 टंडन और सबरवाल का मैं भी आदर करता हूं। मैं नहीं मानता कि किसी ऐसे जानकार ने इसे बनाया है। क्या उत्तर प्रदेश में ही मुद्रा स्फीति रही है, दिल्ली में नहीं हुई और किसी जगह नहीं रही?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मुद्रा स्फीति में आप सहायता कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इनफ्लेशन वर्ल्ड वाईड फेमिना है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कारण इनफ्लेशन पर बहुत कम असर पड़ा है। आप कह सकते हैं कि सड़कों पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च हुआ। हमारे माननीय लक्ष्मी शंकर यादव जी बैठे हैं जिनके समय में सड़कें बहुत बनी। हम लोग प्लानिंग कमीशन गए। कमीशन के एक मेम्बर ने कहा कि सड़कों पर ज्यादा रुपया खर्च होने से इनफ्लेशन ज्यादा होता है और रुपया रोक दिया। हम इस बात को नहीं मानते कि सड़कों पर रुपया खर्च करने से इनफ्लेशन होता है। हमने सड़कें बनायीं। वह काम आप भी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया आप सड़कों पर खर्च कर रहे हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरा है। पांच करोड़ में दो चार पुल बन जायं, गाजीपुर का पुल, बिजनौर का पुल, जिन पर काम चल रहा है। क्या होगा पांच करोड़ से? इसे मुद्रा स्फीति कह लें। मुझे आश्चर्य हुआ इस तरह की मुद्रा स्फीति की बात कही गयी कि मुद्रा स्फीति प्रदेश सरकार की वजह से बढ़ गयी। यह कोई न्याय नहीं है। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की क्या है? प्रति व्यक्ति आय बुन्देलखंड में फर्क है। उत्तर काशी तथा मिर्जापुर के आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय में फर्क

है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में जैपुरिया, सिंघानिया, नारायण दत्त तिवारी, मधुकर दिघे, राम नरेश यादव भी शामिल हैं। सब पर कैपिटा में आ गए। पर कैपिटा से विकास की सही तस्वीर सामने नहीं आती है। जो आरोप आप लगा रहे हैं, अपने ऊपर आप लगा रहे हैं।

इसी प्रकार जो बिजली की बात कही गयी है कि बिजली का उत्पादन कम हुआ। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस शासन ने नीति बनायी है। अच्छी बात है। कौन योजना है। इसमें लिखा है कि कुछ योजनाओं को भेजा है। बिजली जैसे विषय पर सदन को बताना चाहिए कि कौन योजनाएं हैं जो केन्द्र के पास भेजी गयी हैं। कुछ हमें मालूम हैं, ओबरा, हरदुआगंज, नरौरा पावर स्टेशन, पनकी का विकास हो रहा है। विष्णु प्रयाग योजना मंजूर हो चुकी है। नयी योजनाएं कौन सी हैं। बिजली के बारे में ब्यौरा आना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। इसी तरह रिहन्द के बारे में जो नीति घोषित की गयी है अच्छी बात है। लेकिन एक नीति समझ में नहीं आयी कि व्यक्तिगत कारखाने वालों को बिजली बनाने की छूट देंगे। इसको स्पष्ट करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? एक तरफ कहते हैं कि बिजली नहीं दे पाएंगे। दूसरी तरफ, डीजल जनरेटिंग सेंट्स 100 मेगावाट के दिए हुए हैं। उनको चालू रखना है। बिजली की बड़ी तारीफ की गयी है। हमने बिजली गांवों में पहुंचा दी। बिजली 24 घंटे मिल रही है। लेकिन कारण बताया कि बरसात अच्छी है। बरसात के दिनों में बिजली मिल ही जाती है। लेकिन बरसात के बाद भी बिजली मिलेगी यह सवाल है। बरसात को बधाई नहीं दे सकते हैं। क्या बरसात को बधाई दे रहे हैं? आज इस बात की आवश्यकता है कि बिजली के उत्पादन में अधिक प्राथमिकता उन योजनाओं को दें जिससे तुरन्त बिजली मिल सकती है। हरदुआगंज विकास योजना का काम ढीला है। दो साल में बिजली मिल सकती है। कनहर योजना को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। पंच नद योजना, एक हजार रुपए की योजना है। मध्य प्रदेश से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। उस पंचनद योजना का उल्लेख आज उल्लेख तक नहीं है। पंच नद योजना से बुन्देलखंड और इलाहाबाद तक पानी आएगा। पांच नदियां हैं—जमुना, चम्बल, क्वारो, सिंध और पहूंज। पांच नदियां हैं। तो इन सब योजनाओं की तरफ हमें ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

हरिजन और आदिवासियों के लिए आवास स्थलों के बारे में क्या हो रहा है? मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि इस बजट में 40 लाख रुपया कम कर दिया गया है आवास बनाने के लिए। कहां बढ़ाना चाहिए। 12 लाख लोगों को सरकार ने यह तो जरूर कहा है कि जमीन का बटवारा हुआ है, लेकिन आवासहीनों को जो आवास स्थल दिए गए हैं, वे फर्जी दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी सीमा क्या है? शहरी हदबन्दी के बारे में सरकार की क्या नीति है? इसके लिए कानून भी बन चका था। हमारी नीति थी कि शहरी भूमि हद बन्दी लागू करके गरीब वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाए जायेंगे। आप कह सकते हैं कि बड़ा गलत काम किया हमने लेकिन अब आपकी क्या नीति है? आवास स्थलों के लिए कोई रुपया आबंटित होगा क्या आपने इसके लिए कोई कार्पोरेशन बनाया है? इस बजट में आवास विकास का नाम भी नहीं है। आज हाउसिंग की कितनी बड़ी प्रोब्लम है, हमारे प्रदेश के लिए? इतना जिक्र जरूर है कि कुछ कर्मचारियों के लिए

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आवास बनाए जायेंगे लेकिन हाउसिंग बोर्ड या डिपार्टमेंट क्या करेगा, बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है। यह बहुत ही महत्व का विषय है। आज मकान की समस्या सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश की होती जा रही है। इसके लिए हमने पिछले वर्ष एक नीति बनायी थी। हरिजनों के आवास के लिए एक हरिजन हाउसिंग कार्पोरेशन भी बनाया था जो नए किस्म के मकान बनाए। हमने उसके लिए ग्रान्ट देने का भी उल्लेख किया था लेकिन इस बजट में उसका कोई भी उल्लेख नहीं है।

इसी प्रकार से छात्रों के लिए बुक बैंक्स का क्या होगा? हजारों कालेजों में, डिग्री कालेजों में, स्कूलों में बुक बैंक्स खोले गए। आप कह सकते हैं कि यह ठीक नहीं है। आपको मालूम होगा कि 1 करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन ने इस काम के लिए उत्तर प्रदेश को दिया था। बुक बैंक्स किसी पार्टी के नहीं होते हैं। इससे सही कीमतों पर छात्रों की किताबें मिल सकें, अभ्यास पुस्तिकायें मिल सकें और एक्सरसाइज बुक्स मिल सकें, इसके लिए पिछले बजट में प्राविधान किया गया था लेकिन इस बजट में इस सम्बन्ध में चुप्पी बरती गई है छात्र कल्याण और युवा कल्याण के लिए बड़ा प्रेरणादायक संदेश दिया गया। पता नहीं कि आप छात्रों और युवकों की यूनियनों को बनाने जा रहे हैं, यदि हां, तो इसका आधार क्या होगा? शायद उस सम्बन्ध में आप कुछ घोषणा करें लेकिन छात्रों के लिए पुस्तक बैंक, और जो कन्ज्युमर्स सोसाइटी हैं, उनके लिए आपकी क्या नीति है?

बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने एप्रेन्टिस स्कीम चलाई थी। पिछले साल 10,000 नौजवानों को कारखानों में इस स्कीम के मुताबिक जगह मिली। अब वह एप्रेन्टिस स्कीम क्या तोड़ दी गई है? मुझे हाल ही में मालूम हुआ है कि बिजली बोर्ड में जो 600 एप्रेन्टिस ट्रेनिंग पा रहे थे, उनको नोटिस दे दी गई है कि तुमको जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी बुनियादी बातें जिनका इस बजट में स्पष्टीकरण होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे इम्प्लायमेंट एक्सचेन्जेज में 8 लाख 92 हजार अनएम्प्लायड लोग रजिस्टर्ड हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है, पार्टी की समस्या नहीं है। हमें विचार करना होगा कि हम किस प्रकार से इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करें। आबादी बढ़ती जा रही है, शिक्षा प्रणाली में आर्ट्स कालेज बढ़ते जा रहे हैं, बाबुओं की संख्या बढ़ती जारही है, लेकिन टैक्नीकल हाथ हमें कम मिलते हैं। टैक्नीकल शिक्षा का, जो रोजगार मूलक शिक्षा है उसका हम समाधान नहीं कर पाए हैं। इस बारे में भी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। 10 प्लस 2 प्लस 3 यह फारमूला स्वीकार किया गया। हमने पिछले वर्ष बजट में उसका उल्लेख भी किया था। लेकिन इसका इसमें कोई संकेत नहीं है। हमने अखबारों में पढ़ा था कि एजूकेशन मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर की राय के खिलाफ रहते हुए यह मान लिया कि 10 प्लस 2 प्लस 3 यह शिक्षा की जो योजना है यह प्रदेशों में लागू करेंगे क्या इसके लिए बजट में कोई प्राविधान है? इसके लिए अध्यापकों की आज जो समस्यायें हैं क्या हम उनसे कोई बातचीत कर पाये? हमने क्या किया था कि जो राजकीय बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक हैं, डिग्री कालेज के अध्यापक हैं, सबको महंगाई भत्ता देने के साथ-साथ पेन्शनें बराबर की थीं। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को बराबर रुपया दिया था और फाइनेन्स कमीशन से रुपया मिला था, जिसकी आलोचना हमें मिली। अब भी अगर इस

तरफ कुछ नहीं किया गया तो 5 साल तक राज्य सरकार पर बोझा पड़ेगा। अब भी इसको मंजूर कर लीजिए शायद फाइनेन्स कमीशन मान जाय। हम तो पापी हैं, हमें भूल जाइए, लेकिन इस बात को प्रदेश के हित में देखिए, यह मेरा आग्रह है।

प्रति व्यक्ति आमदनी के साथ-साथ हमें प्रति व्यक्ति खर्च को भी देखना होगा। आमदनी उत्तर प्रदेश की उन्हीं सालों में कम हुई है जब बाढ़ आयी है, सूखा पड़ा है, वरना हमेशा बढ़ी है। वित मन्त्री जी को न जाने किसने सलाह दी, उन्होंने 3-4 तरीके पर कैपिटा इन्कम आंकने के एक साथ जोड़ दिए, जहां-जहां उनके हित में और हमारी आलोचना करना उन्होंने जरूरी समझा वहां उन्होंने जोड़ दिया। कहीं 1947-48 की कीमतों पर और कहीं 1960-62 की कीमतों पर लिख दिया। तो 1947-48 में जब आजादी मिली उस समय की कीमतों का आधार है, दूसरे 1960-61 की जो कीमतें थीं, उसके आधार पर कीमतों को हम नापेंगे और तीसरे जो करेंट प्राइसेज हैं उनके आधार पर नापते हैं। आपने अपनी सहूलियत के लिए कभी 1947-48 की कीमतों का आज की कीमतों से मुकाबला किया, कभी 1960-61 की कीमतों को जोड़ लिया, कभी आज की जोड़ लीं। मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता कि इन बारीकियों में जाऊं, नहीं तो मेरे पास पर-कैपिटा वाले आंकड़े हैं। चन्द्रभानु गुप्त जी के समय के, कमलापति त्रिपाठी जी के समय से, टी0 एन0सिंह जी के समय के, चरण सिंह जी के समय के, बहुगुणा जी के समय के सब के हैं। मैं तो एक साल रहा, मैं बड़े पाप का भागी हूं, लेकिन इतनी बुरी तस्वीर नहीं रही। आपने भी श्रीमन्, 10 साल शासन की शोभा बढ़ाई है। यह कहना कितना अन्यायपूर्ण है कि आपके नेतृत्व में, आपके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। मैं इसे पवित्र दायित्व मानता हूं। मैं अपने को डिफेन्ड नहीं कर रहा हूं, बल्कि चन्द्रभानु गुप्त जी को, बहुगुणा जी को, टी0 एन0 सिंह को, चौधरी चरण सिंह को डिफेन्ड कर रहा हूं जो कांग्रेस में रहे।

एक सदस्य--

आप अपने को डिफेन्ड कीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो मैं पर-कैपिटा इनकम के बारे में बतला रहा था। प्रति व्यक्ति आमदनी के साथ खर्चा भी देखा जाता है। तराजू का एक पलड़ा वित्त मन्त्री जी ने देखा प्रति व्यक्ति कन्जम्पशन कितना होता है, उपभोग कितना होता है। 1974-75 के आंकड़े मेरे पास हैं जिनको वित्त मन्त्री जी ने दिया कि पर-कैपिटा इनकम 812 थी, तो प्रति व्यक्ति एक्सपेन्डीचर का जो एवरेज है वह 432 है, यानी 36 रुपया माहवार के हिसाब से। अब क्या निकला इस आंकड़े से? कितनी बचत हो गयी। 432 खर्चा और 832 आमदनी। मालमाल हो गए। तो मैं आग्रह करूंगा कि बुनियादी प्रश्नों की तरफ ध्यान दें और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ हमें अनुभव है--मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बदले की भावना से तमाम विकास कार्य रोके जा रहे हैं। विकास कार्य रुके, यह कोई सदस्य नहीं चाहेगा। या तो आफिसर्स डिमारेलाइज हो गए, क्योंकि भय के कारण इनिशिएटिव खत्म हो गया कि कहीं गलत आर्डर न हो। मैनिफेस्टो में कहते हैं आप कि कोई आदमी गलत काम करने से इन्कार कर दे। आर्डर गलत है तो गलत आदेशों

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का पालन मत करो। मैनिफेस्टो में लिखा है कि अफसरों को आजादी होगी कि गलत आदेशों का पालन न करें। तो या तो वे समझ रहे हैं कि गलत आदेश हैं आपके या रुपया नहीं पहुंच रहा है। तमाम प्रदेश में विकास के कार्य रुके हुए हैं। कुछ मन्त्री इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सब जगह विकास कार्य रुका हुआ है।

कल टनकपुर में गोलीकांड हुआ। बड़े दुःख का विषय है। उस गोलीकांड में सुनते हैं, कोई कहता है 42 मारे गए 27 घायल हुए, कोई कहता है 2 मारे गए। दुर्भाग्य से एक पुलिस कांस्टेबिल भी मारा गया। वह मेरे जिले के मामला है। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की घटना हुई। वह क्यों हुई? इसलिए हुई कि एक हाई स्कूल को इन्टरमीडिएट कालेज करने के आदेश हो चुके थे वह रोक दिए गए। पता नहीं कैसे पर्वतीय विकास मन्त्री जी जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं और जिनकी बदला लेने की भावना नहीं है, उनके आदेश हो गए और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

मैं उद्योग मन्त्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कम से कम नोएडा को बजट में रखा है। तीन बातें सोच विचारकर आपने रखी हैं। एक तो बुलन्दशहर जिले में जो उद्योग संस्थान बन रहा है नोएडा उसको आपने कायम रखा। कुछ लोगों ने कहा कि यह तो नारायण दत्त ने किया था, इसको बन्द कर दीजिए। लेकिन आपने बन्द नहीं किया। 10 करोड़ रुपया वहां लगा है। 10 हजार यूनिटें बनने वाली हैं। आपने बजट में उसके लिए रुपया मांगा है। अच्छा किया है। इसी तरह जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में इन्डस्ट्रियल इस्टेट के लिए और प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर फैक्टरी के लिए रुपया मांगा है। बहुत अच्छा किया। बजट में रुपया मांगा है तो प्लानिंग कमीशन में जोड़ दीजिएगा। यह नहीं कि यहां रुपया मांगने के बाद आप प्लानिंग कमीशन में ढील कर दें। अब आप महसूस कर रहे हैं कि हर विभाग में बहुत अच्छे काम हुए हैं। आप मेहरबानी कर के बदले की भावना से विकास की योजनाओं को मत रोकिए। आप मुझको जेल में डाल दीजिए जो मैंने पाप किए हों लेकिन मेहरबानी करके प्रदेश की योजनाओं को न रोकिए। अगर नारायण दत्त तिवारी को जेल में डालने से आपकी आत्मा को शान्ति मिलती हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं लेकिन विकास योजनाओं से बदला न लीजिए, यह इस प्रदेश के साथ बड़ा अन्याय होगा। यह मेरा आपसे आग्रह है।

मैं क्षमा चाहूंगा सदन के सदस्यों से कि मैंने बहुत सा समय लिया। बहुत से सदस्य बोलने के इच्छुक होंगे। बहुत सी बातों की मैंने पुनरावृत्ति की होगी। मैं यहां पहले नहीं आ सका। लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा कि एक बजट को हम केवल एक पार्टी के दृष्टिकोण से न देखें। प्रदेश के इतिहास में यह एक कदम मात्र है, इसे उठाना ही है। इस नाते मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, लेकिन जो इसमें खामियां हैं, जो इसमें निर्बल वर्ग की बात कही गयी है लेकिन ध्यान नहीं दिया गया है उसकी ओर ध्यान दिलाना हमारा कर्त्तव्य है। मैं जानता हूं सरकार में कुछ नए लोग भी रहते हैं जिनको तजुरबा नहीं होता, वह कोशिश करते हैं जानकारी करने की। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी आपसे और माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि समय हाथ से निकला जा रहा है। समय किसी का इन्तजार नहीं

करता। हमारा इन्तजार नहीं किया, आपका भी नहीं करेगा और आप मेहरबानी करके देखिए, योजनाओं की गहराई में जाइए, बदले की भावना छोड़िए। हम विकास में जो सहयोग देने लायक हैं, वह हम देने के लिए तैयार हैं। हमें जल्दी नहीं है सत्ता में आने की, आप बने रहिए, काम करके दिखाइए। आप रहें, लेकिन विकास हमारे प्रदेश का हो। हम इसी कसौटी में बजट को कसना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यह शासन इस पर विचार करेगा प्रदेश को एक नयी दिशा में लाने की कोशिश करेगा।

मान्यवर, अल्प संख्यकों का प्रश्न है, उर्दू भाषा को ले लीजिए। हर वर्ष उर्दू अकादमी संस्था के लिए क्या हो रहा है? हर बजट भाषण में सारी बातें नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ बातें जरूरी जो हैं उनका उल्लेख होना आवश्यक है। उर्दू अकादमी का क्या होने जा रहा है? हमने यह फैसला किया था कैबिनेट में, कबिनेट का फैसला रखा हुआ है कि हमारे प्रदेश में जहां 20 फीसदी से ज्यादा उर्दू पढ़ने वाली आबादी है, वहां उसूलन सैकेन्ड लैंग्वेज का रूप दिया जाय। उर्दू भाषा सारे देश की है, प्रदेश की है और जो फैसला हम कर चुके हैं, उसे मान्यता देनी होगी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे एक बुजुर्ग नेता ने, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, उन्होंने विदेशी सत्ता की बात कही, इसमें विदेशी सत्ता का क्या सवाल है? मान्यवर, माइनरीटीज के लिए क्या हो रहा है, पिछड़े वर्ग के लिए क्या हो रहा है, इम्प्लायमेंट के लिए क्या हो रहा है? हमारी क्या नीति है, इसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अपनी नीति को बनायेंगे। हम किसी भी रचनात्मक काम में आपको जबरदस्ती सहयोग देने के लिए नहीं जायेंगे। श्रीमन्, बिना मांगे हुए सहयोग देना, उसका कोई आदर नहीं होता है और सहयोग देने का सवाल भी नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी का सहयोग अगर आप इस प्रदेश के निर्माण के लिए चाहते हैं, तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका एक संवैधानिक तरीका होना चाहिए और विश्वास के साथ होना चाहिए। अविश्वास के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे कोआपरेटिव कमीशन तोड़ दिया गया। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह किया, बहुगुणा जी ने बनाया था कि कोआपरेटिव कमीशन सहकारिता के प्रश्नों पर विचार करेगा, मैंने कहा कि उसे न तोड़िए, लेकिन उसे तोड़ दिया गया। भूमि व्यवस्था समिति मैंने नहीं बनाई थी, बहुगुणा जी के समय की बनी हुई थी, जिसमें कि सर्वोदय के लोग लगे हुए थे, बहुगुणा जी के समय में बनाई गयी थी और उसे तोड़ दिया गया। आज इसमें कहा जा रहा है; मुझे बड़ा दुख है, इसमें यह कहा गया है कि 'पिछले शासन में हरिजनों और भूमिहीनों को जो भूमि आवंटित की गयी थी उसका कार्यान्वयन जबानी था या केवल कागज पर। यह मुझ पर ही नहीं बहुगुणा जी पर भी आरोप है। भूमि व्यवस्था और सर्वोदय वालों पर भी आरोप है। क्या कोई कह सकता है कि एक एकड़ भी जमीन हमने नहीं बांटी? मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों को छोड़कर ऊंचे उठें। मैं समझता हूं कि आप में शक्ति है आप ऊंचे उठ सकते हैं। खास तौर से जो मन्त्रि-मन्डल आ गया है उसमें 42 लोग जो आए हैं उनसे मेरा आग्रह है, मुझे विश्वास है कि जो सदस्य हैं वह ऊंचे उठ जायेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो शासन के सदस्य हैं वह ऊंचे उठ जायं। जब शासन के सदस्य ऊंचे उठ जायेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं वित्त मन्त्री को अपना पहला बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि अगले साल भी वह बजट पेश करने के योग्य होंगे।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत लच्छेदार शब्दों में अपना बजट भाषण रखा। मैंने माननीय नेता विरोधी दल ने जो आंकड़े रखे हैं, उनको सुना, मैं नहीं चाहता कि उन आंकड़ों को दुनिया में सियासत या राजनीति के बीच में लाया जाय। लेकिन अगर आंकड़ों की दुनिया को बनाने वाला अपनी अकल और अपनी कलम को किसी आवारा के चरणों में समर्पित कर दे तो फिर बात बदल जायगी। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि औसत आमदनी उत्तर प्रदेश की कम नहीं हुई है। तो मैं आंकड़े देना चाहता हूं कि 1951–52 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी 260 रुपया थी। 1975–76 में 1960–61 के मूल्य सूचकांकों के आधार पर 268 रुपये हो गयी। 268 रुपए उस समय हुई जबकि हिन्दुस्तान के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी थोड़ी बढ़ गयी थी।

(इस समय 2 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए।)

1961 के मुकाबले 1975-76 के मूल्य सूचकांकों में 2 गुने का फर्क आ गया। अधिष्ठाता महोदय, और प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 134 रुपए साल हो गई। 134 रुपए साल में यानी कि 36 पैसा रोजाना। माननीय नेता विरोधी दल ने 30 सालों का जिक्र किया। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों की आर्थिक नीतियों के कारण नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की प्रति दिन की आमदनी 36 पैसे रोजाना हो गई।

अधिष्ठाता महोदय, उत्पादन के बारे में, महंगाई के बारे में, मुद्रा स्फीति के बारे में यहां पर माननीय नेता वरोधी दल ने ध्यान आकर्षित किया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया वह केवल 5 महीने का है। कहने को तो साल भर का है लेकिन बारह महीने में 5 महीने कांग्रेस हुकूमत ने लिया। 2 महीने लेखानुदान के गए और बाकी इस सरकार के लिए समय बचा है। इस बजट की जो खास बात है वह यह है कि कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है और किसी योजना में कटौती नहीं की गई है और न उत्तर प्रदेश के विकास को रोका गया है। मान्यवर, खेती का उत्पादन कम हो गया है। यह उत्पादन जो कम हुआ है उसका कारण जनता पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि पिछले 30 सालों की जो नीतियां चली आ रही हैं, वे हैं। कृषि का उत्पादन हमारे प्रदेश का अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कम रहा। 1968-69 में दालों का उत्पादन प्रति व्यक्ति 29 किलोग्राम रहा। 1975-76 में यह घटकर प्रति व्यक्ति 28 किलो ग्राम रह गया। कहा जाता है कि 1975-76 में रिकार्ड उत्पादन हुआ। हरितक्रान्ति की बात कही गयी है और बताया गया कि हिन्दुस्तान में इतना स्टाक हो गया कि किसी को भी खाने की कमी नही होगी। लेकिन आपात स्थिति में बाजार में जबर्दस्ती दाम कम किए गए। जबकि खाद के दामों में कमी नहीं हुई, सिंचाई की दर में कमी नहीं हुई, बिजली की दर में कमी नहीं की गयी, लेकिन गेहूं और चावल के दाम कम कर दिए गए। इसलिए जबर्दस्ती जो दाम में कमी की गयी उसका नतीजा हुआ कि किसानों को खेती में कोई लाभ नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने दालों और तिलहनों की खेती करना कम कर दिया जिसके परिणामस्वरूप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन चीजों का उत्पादन कम हो गया।जब उत्पादन में कमी हो गयी तो जाहिर है कि इनके दाम बढ़ेंगे ही। इसलिए पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय में रोपार फार्म का सर्वेक्षण किया गया तो उसके आधार पर नतीजा निकाला गया कि भूमि की कीमत निकालकर ब्याज को जोड़कर देखा जाय तो एक एकड़ पर लागत और प्राप्त आप में 200 का फर्क आता है। पंजाब की यह हालत है। तो उत्तर प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, ट्रैक्टर नहीं हैं और अच्छे बीज तथा खाद की व्यवस्था सरकार ने नहीं किया था वहां 200 रुपये से भी कम आएगा। उत्तर प्रदेश में 12 एकड़ जोत की सीमा माना तो 60 रुपये सालाना से ज्यादा आय किसानों को नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 720 रुपया पड़ता है और रोज 2 रुपए से कम पड़ता है। श्रीमन्, आज जो महंगाई की बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार जब आ गयी है तबसे मंहगाई बढ़ गयी है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि महंगाई बढ़ने की जिम्मेदारी पिछली सरकार पर रही है। लेकिन आज उसका सामना जनता सरकार को करना पड़ रहा है। मंहगाई को बढ़ना लाजिमी था जैसा कि पाटिल ने कहा था कि महंगाई बढ़ना जरूरी था चूंकि पिछली सरकार की नीति ही ऐसी रही है।

श्रीमन्, यहां मुद्रा में बढ़ोत्तरी की गयी थी और यहां तक कि हिन्दुस्तान में इतने ज्यादा नोट छापे गए जितने कि कहीं नहीं छापे गए होंगे। इसलिए हिन्दुस्तान में इन्फ्लेशन नहीं था लेकिन वह जबर्दस्ती पैदा किया गया। वर्ष 1976-77 में मुद्रा की स्थिति 11.3 से बढ़कर 1977-78 में 18.8 की गयी जबकि राष्ट्रीय उत्पादन में 2 फीसदी से कम बढ़ोत्तरी की गयी। नोट ज्यादा छापे गए और आपूर्ति कम हुई इससे महंगाई बढ़ना जरूरी था। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं कि मुद्रा में किस प्रकार वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 मे 11.2 थी जो कि वर्ष 1972 में 13.1 हो गयी। वर्ष 1973 में 15.9, वर्ष 1974 में 15.4. वर्ष 1975 में 6.9 वर्ष 1976 में 11.3 और 1977-78 में मुद्रा में वृद्धि 18.8 की गयी। पिछले वर्षों में वस्तुओं की अपूर्ति 100 से बढ़कर. 118 हुई और मुद्रा की अपूर्ति 100 से बढ़ कर 217 हो गयी।

अधिष्ठाता महोदय, बजट के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट जो 5 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है आज की परिस्थिति के मुताबिक इसको गिरी पृष्ठ भूमि में जो रखा गया है वह अच्छा बजट है। 82.8 करोड़ का घाटा जो बताया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से 50.25 करोड़ की मांग की गयी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस बड़ी राशि को लेने में केन्द्रीय सरकार से सफल होगी। अधिष्ठाता महोदय, यह तो आंकड़ों की बात है आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन मैं साफ कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में जो हालत हो रही है, उसमें राजनीति करने वालों का भी हाथ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रान्तियों को भुला देना चाहिए। सन् 1977 की क्रान्ति को भूल जायं। चाहे 1957 की क्रान्ति हो, या 1977 की क्रान्ति हो कैसे भूल जायं? मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह उदाहरण कुलदीप नैय्यर की किताब से प्रस्तुत करना चाहता हूं। पृष्ठ 54 पर लिखा है फैसला। मीसा के आर्डर के साइक्लोस्टाइल किए हुए फार्मों से उत्तर प्रदेश में कई मजिस्ट्रेटों को बड़ी आसानी हो गयी। उन्होंने खाली फार्मों पर दस्तखत कर दिए और बाकी कार्यवाही पुलिस पर छोड़ दी। खुफिया पुलिस की पुरानी रिपोर्टों की मदद

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

से तैयार की गई फेहरिस्तों के हिसाब से गिरफ्तारियां होती रहीं फिर इसमें ताज्जुब ही क्या है कि आगरा में पुलिस ने एक बार ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा जो 1968 में मर चुका था। इतना ही नहीं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसी पुस्तक से एक दूसरा उदाहरण और प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसको सुनकर हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक का सिर शर्म से झुक जायगा। 'फैसला' नाम की पुस्तक के 61 पृष्ठ पर है। परिवार के एक मित्र जो कई महीने पहले संजय और श्रीमती गांधी के साथ खाने की दावत में शरीक हुए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देखा कि बेटे ने छः बार मां के मुंह पर तमाचे मारे। वह कुछ भी न कर सकी। इस मित्र ने कहा, 'वह चुपचाप खड़ी तमाचे खाती रहीं। उसके डर के मारे उनका दम निकलता है।'

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बजट के क्षेत्र से बाहर न जायं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा जब राजनीति करने वालों का रूप इस घृणित रूप में आएगा। एक आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट के बारे में बताया गया। मैं ऐसे तथ्य रखना चाहता हूं जिसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार पर रही है। मिर्जापुर में गोपालपुर फार्म कमलापति त्रिपाठी जी का है। 4 हजार 500 एकड़ जमीन है। अनेक नाम गिनाए जाते हैं। 14 लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन पूरा नियन्त्रण एक व्यक्ति करता है। दूसरा फार्म (न्यायाधीश) कुंवर चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह का है जिसमें 4 हजार 522 बीघा जमीन है।

श्री अधिष्ठाता--

जो न्यायाधीश के बारे में कह रहे हैं वह नहीं आना चाहिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं किसी न्यायाधीश या न्यायालय से सम्बन्धित बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने जमीन को दबाया है यह कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपको न्यायाधीश शब्द नहीं कहना चाहिए था। अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

एक भूतपूर्व राजा अजीत प्रताप सिंह हैं। इसी तरह से भूतपूर्व मन्त्री विश्वनाथ सिंह हैं। इनके और इनके भाई के पास हजारों एकड़ जमीन है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, खासकर वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि अपने बजट में ऐसा प्राविधान करें कि जमीनों की चोरी जिन्होंने की है उनसे जमीन वापस करा कर भूमिहीन और हरिजनों में वितरित की जाय।